VISIONIAS™

www.visionias.in

समसामयिकी

नवम्बर - 2015

16 से 30 नवम्बर

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

4. 'स्त्रीधन'
4. प्रेस की स्वतंत्रता
4. सी.सी.आई. ने विमान सेवा कंपनियों पर अर्थ दण्ड लगाया
5. ई-शासन प्रणाली
5. जनता के लिए परोक्ष पुलिस थाना (वी.पी.एस.)
5. जनजातीय अधिकार तथा मुद्दे
6. समुद्री मत्स्य पालन
8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
9. नदियों का अंत संपर्क
10. भारत में हरित क्रांति
11. दूसरी हरित क्रांति
11. सुर्खियों में ये भी...
11. स्वच्छ दिल्ली एप
11. न्यायिक स्वतंत्रता
13. आवारा कुत्तों का खतरा
13. सूचना का अधिकार कानून के 10 साल-सफलताएं

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एंव विश्व

15. भारत और आई.बी.एस.ए.
15. भारत पुन: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद का सदस्य निर्वाचित
15. भारत, ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता लागू
15. भारत और कुवैत
15. भारत और सिंगापुर द्वारा रणनीतिक साझेदारी का आरम्भ
16. भारत और जापान संबंधों में नवीनतम
16. चीन में सैन्य सुधार
18. भारत, चीन आतंकी गतिविधियों के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे
18. ए.पी.ए.सी. शिखर सम्मेलन, 2015
19. भारत सार्क संबंध
19. भारत-मलेशिया संबंध
19. प्रधानमंत्री मोदी जी की यू.के. यात्रा
20. वैश्विक सौर गठबंधन
20. जी-20 शिखर वार्ता 2015
20. पेरिस पर हमला
21. आई.एस.आई.एस. के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

अर्थव्यवस्था

22. सातवाँ वेतन आयोग
22. SDR में युआन
23. मेगा फ़ूड पार्क
24. वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तालिका
24. ICEGATE
25. नियामक प्रभाव आकलन
25. जूट की कीमतों में उछाल
26. सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) को पुनर्जीवित करने के लिए केलकर पैनल
27. NMP के तहत तकनीक अधिग्रहण और विकास फंड
28. सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में NPA में बढ़त
यह भी चर्चा में
28. विनिर्माण क्षेत्र: सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित कैसे करें
28. IMF सुधार
29. कारपोरेट धांधली के लिए विशेष संस्था
29. RBI ने ECB ऋण मानकों को ढीला किया

सामाजिक मुद्दे

30. ट्रांसजेंडर नीति: चर्चा में क्यों?
30. लैंगिक असमानता – प्रादेशिक सेना
30. मोटापा
31. रामलीला पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन
31. भारतविद्या का विश्व सम्मलेन
31. सामाजिक नवोन्मेष
32. परिवार की बदलती लैंगिक-सोच

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

33. भारत में 3G
33. ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत के लिए राष्ट्रीय नीति
33. सर चंद्रशेखर वेंकटरमण का योगदान
33. फिर से हड्डियाँ बनाने के लिए नैनो-तकनीक
34. नया इंफ्लुएंजा वायरस भारतीयों को संक्रमित कर सकता है ।
34. निसार मिशन: इसरो और नासा का सहकार्य
34. गीगाबाईट के स्तर का तारारहित डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 'LI-FI' LED लाइट बल्ब्स

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

36. नागालैंड के दोयांग झील के अमुर बाज़
36. आपदा न्यूनिकरण के लिए भारत और सेंडाई समझौता
36. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्र और राज्य सरकार को आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) का संरक्षण करने के लिए कहा
37. बुरे शहरी नियोजन के कारण चेन्नई में बाढ़
37. CBDR से INDC

आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था

39. पेरिस में हमला – फ्रांस क्यों?
40. मेगासिटी सुरक्षा सम्मेलन – मुंबई
40. आतंरिक सुरक्षा पर भारत-अमेरिका सहयोग
40. आतंक से लड़ने वाले शहरों के वैश्विक नेटवर्क में मुंबई
40. जम्मू और कश्मीर में प्रवासियों को राहत और पुनर्वास
41. CCTNS परियोजना का विस्तार

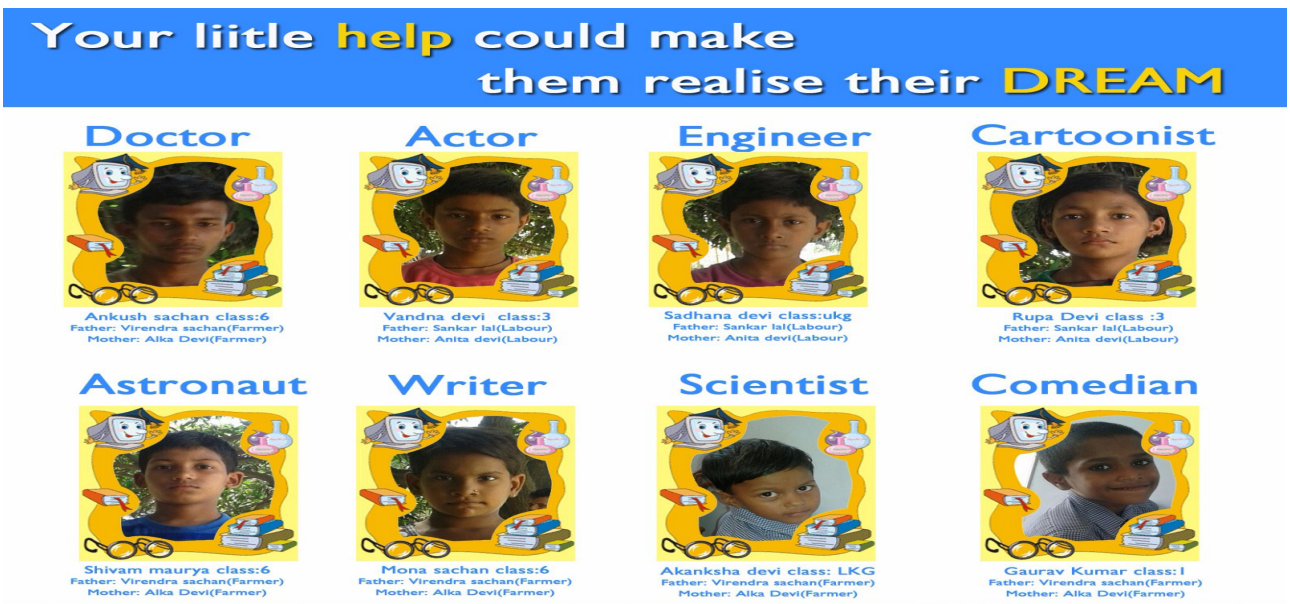

राजव्यवस्था एवं प्रशासन

'स्त्रीधन'

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि न्यायिक रूप से पति से पृथक तथा प्रताड़ित महिलाओं को 'स्त्रीधन' वापस पाने हेतु घरेलू हिंसा क़ानून का सहारा लेने का पूरा अधिकार है।

'स्त्रीधन' का क्या अर्थ है?

- एक महिला को उसके परिवार द्वारा स्वर्ण निर्मित मूल्यवान वस्तुओं के रूप में प्रदत्त उपहार।
- यह उसकी विशिष्ट तथा सुनिश्चित संपत्ति होती है।

पृष्ठभूमि

- पूर्व में एक वाद में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने "स्त्रीधन' लौटाने के लिए महिला द्वारा दिये गए आवेदन रद्द करने संबंधी न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय की पुष्टि की थी।
- दोनों ही न्यायालयों ने इस निर्णय को बरकरार रखा कि याचिकाकर्ता को किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए "घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम, 2005" के अंतर्गत "व्यथित या पीड़ित व्यक्ति" नहीं माना जा सकता चूँकि वह अपने पति से न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत अलग या पृथक हो चुकी थी।

न्यायिक पृथक्करण

- न्यायिक पृथक्करण, न्यायालय के आदेश पर विवाह के निलंबन की अवधि होती है।
- इस समय का उपयोग दंपत्ति अपने टूटे हुए विवाह संबंध को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं को तलाशने में कर सकते हैं। परिणाम के नकारात्मक रहने की स्थिति में, न्यायालय विवाह-विच्छेद के फैसले द्वारा उनके विवाह को समाप्त घोषित कर देता है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पति को महिला के 'स्त्रीधन' का उपयोग करने के सीमित अधिकार ही होते है, जैसे संकट काल में इसके उपयोग का अधिकार।
- न्यायालय ने कहा कि जिस महिला को अपने वैवाहिक घर में घरेलू तथा आर्थिक दुर्व्यवहार सहना पड़ा था, वह अपने न्यायिक पृथक्करण के बाद भी घरेलू हिंसा क़ानून के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति बनी रही। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पृथक्करण की अवधि में पति और पत्नी का कानूनी संबंध बना रहा।

प्रेस की स्वतंत्रता

सुर्ख़ियों में क्यों?

16 नवम्बर को, जब देश ने राष्ट्रीय प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाया तो नागालैंड में तीन समाचारपत्र असम राइफल्स द्वारा प्रेस की स्वतन्त्रता को अवरुद्ध करने वाली अधिसूचना के विरोध में रिक्त सम्पादकीय के साथ प्रकाशित किये गए।

- समाचारपत्रों को नागा विप्लववादी समूह एन.एस.सी.एन.-खपलांग [एन.एस.सी.एन.-के.] से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने से बचने का आदेश जारी किया गया था।
- अधिसूचना में यह कहा गया कि "एन.एस.सी.एन.-के. की मांग को व्यक्त करने वाला या उसका प्रचार करने वाला कोई भी आलेख अवैध गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 के अंतर्गत उल्लंघनकारी माना जाएगा तथा इसे आपके समाचारपत्र के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।"

चिंताएं:

- ऐसी अधिसूचनाओं के प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए विशेष निहितार्थ होते हैं।
- रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान 190 देशों में 136वाँ है।
- यह घटना विवादपूर्ण क्षेत्रों में प्रेस के समक्ष उपस्थित समस्याओं की ओर ध्यान खींचती है। यहाँ मीडिया के लोग एक तरफ विभिन्न सीमाओं तक सेंसर-व्यवस्था लागू करने को क़ानून से लैस राज्य सरकार तथा दूसरी ओर अपनी बात प्रकाशित करवाने के लिए डराते-धमकाते मिलिटेंट (आक्रामक) समूहों के बीच फंसे दिखते हैं।

भारतीय प्रेस परिषद् की भूमिका (पी.सी.आई.):

- पी.सी.आई. ने मामले पर सुओ मोटो कार्रवाई करते हुए अर्द्ध सैनिक बल तथा राज्य सरकार को अधिसूचना जारी की है।
- पी.सी.आई. को लोकहित तथा महत्व के किसी भी समाचार की आपूर्ति तथा प्रसार को प्रतिबंधित करने वाले किसी घटना का पुनर्मूल्यांकन करने का अधिकार है।

सी.सी.आई. ने विमान सेवा कंपनियों पर अर्थ दण्ड लगाया:

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.) ने कार्गो की ढुलाई हेतु ईंधन सरचार्ज निर्धारण तथा पुनर्संशोधन के मामले में सम्मिलित कार्रवाई करते हुए 3 विमान सेवा कंपनियों पर अर्थ दण्ड लगाया।

सी.सी.आई. का निर्णय

- सी.सी.आई. ने यह निर्णय दिया कि जेट एयरवेज़ (भारत) लिमिटेड, इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड, स्पाइस जेट लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड तथा गो एयरलाइंस (भारत) लिमिटेड ने एफ़.एस.सी. दरों को निर्धारित करने हेतु आपसी मिली-भगत से एक साथ कार्रवाई की।

- क्रमश: जेट एयरवेज़ (भारत) लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड तथा स्पाइस जेट लिमिटेड पर संदेहास्पद आचरण के लिए अर्थदंड लगाया गया। ये अधिनियम की आचरण धारा 3 (1) के साथ धारा 3(3)(a) के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए।
- अर्थदंड लगाते हुए आयोग ने कहा कि वायु कार्गो उद्योग में इस तरह का आचरण देश के आर्थिक विकास को दुर्बल करता है तथा अंतिम उपभोक्ता को हानि पहुंचाता है।
- ऐसे आचरणों के परिणाम वायु कार्गो परिवहन की दरों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्धारित करते पाए गए, इसलिए उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध माना गया है।
- यह अर्थदंड पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत क्रय-विक्रय का 1 प्रतिशत तय किया गया।

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सी.सी.आई.)

- आयोग की स्थापना एक संवैधानिक संस्था के रूप में प्रतिस्पर्द्धा विरोधी कार्यों को रोकने, बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को बनाए रखने तथा उन्हें बढ़ावा देने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने एवं व्यापार की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने हेतु की गयी थी।
- सी.सी.आई. का उत्तरदायित्व पूरे भारत में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 को लागू करना है।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम 2002 की धारा 3 प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों से निपटने हेतु है। अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार, किसी भी उद्यम, उद्यम समूह या व्यक्ति या व्यक्ति समूह को भारत में प्रतिस्पर्द्धा पर पर्याप्त रूप से विपरीत प्रभाव डालने या डालने की संभावना रखने वाले वस्तुओं या सेवा प्रावधानों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, भंडारण, अधिग्रहण या नियंत्रण की अनुमति नहीं होगी।

धारा 19 आयोग को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह उद्यम के कुछ समझौतों तथा हावी होने वाली स्थिति की जांच कर सके।

ई-शासन प्रणाली

रेलवे संविदाओं की ई-टेंडरिंग

हाल ही में, केन्द्रीय रेल मंत्री ने कहा है कि अगले वर्ष से सभी रेल संविदाओं का निविदाकरण ई-टेंडरिंग प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन रूप से किया जाएगा।

ई-टेंडरिंग क्यों?

- रेलवे में पहले होने वाली टेंडरिंग या निविदाकरण में छ: वर्ष तक का समय लग जाता था।
- प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने तथा लगने वाले समय को कम करने हेतु।
- परियोजनाओं की घोषणा तथा उनके वास्तविक कार्यान्वयन के बीच समयांतराल को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।
- आधुनिकीकरण– रेलवे भी नवीन, आधुनिक डिब्बों को प्रयोग में लाने के प्रयास को बढ़ावा दे रहा है। इससे भारतीय रेल से यात्रा के वर्तमान प्रारूप में बड़ा परिवर्तन आयेगा।
- राष्ट्रीय रूपांकन संस्थान के द्वारा अभिकल्पित कुछ आधुनिक रेल डिब्बे प्रयोग में लाए जाने भी लगे हैं।
- अगले दो महीनों में इन समस्त निविदाओं को ई-प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाएगा।

जनता के लिए परोक्ष पुलिस थाना (वी.पी.एस.)

- किसी पुलिस थाने के कार्य-प्रणाली को आम जनता हेतु ग्राह्य बनाने के लिए राजधानी में वी.पी.एस. का शुभारम्भ किया जा रहा है।
- इस वी.पी.एस. को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थान कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सी.एच.आर.आई.) ने विकसित किया है।
- वी.पी.एस. माउस के एक क्लिक पर जनता को थाने की कार्य-प्रणाली से अवगत कराने वाला अपने आप में प्रशिक्षण का पहला साधन या उपकरण है।
- यह पुलिसकर्मियों तथा जनता को एक कम्प्युटरीकृत थाने के हर कमरे में प्रवेश करने तथा गिरफ्तारी, यौन की शिकायत पंजीकरण, प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण तथा अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने तथा उनके बारे में सीखना संभव बनाता है।
- "वी.पी.एस. पुलिस के कार्य को मानवीय रूप प्रदान करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि यह नागरिकों को पुलिसकर्मियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के विभिन्न स्तरों (प्रबन्धन, प्रशासन, जांच, न्यायालय जाना, न्यायालयिक कार्यों) की जानकारी प्रदान कर पुलिस थाने के बारे में बने रहस्य को हटाता है।
- यह साधन महिलाओं की बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराने में भय से मुक्ति प्रदान करेगा।
- इसका लक्ष्य भारतीय पुलिस व्यवस्था को "पुलिस बल से पुलिस सेवा" में परिवर्तित करना है।

जनजातीय अधिकार तथा मुद्दे

स्वतन्त्रता के 68 वर्षों पश्चात भी जनजातीय समुदायों की समस्या आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप ही बनी हुई है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, संधारणीय आजीविका संबंधी सहयोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता, ऋण, तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं सम्मिलित हैं, लेकिन यह इतने ही तक सीमित नहीं है। उनके लिए अवसर की समानता का लक्ष्य मोटे तौर पर अप्राप्त ही है।

एफ़.आर.ए. के अंतर्गत जनजातीय लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है:

- ऐसा आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनजातीय लोगों के 60 प्रतिशत दावों को सरकार ने अस्वीकार कर दिया है।
- वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को क्रमिक रूप से कमज़ोर कर दिया गया है।
- जनजातीय लोगों को विस्थापित कर वन भूमि को औद्योगिक उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है।
- विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए ग्राम सभा की सहमति संबंधी उपबंध को दरकिनार किया गया है।
- देश में वाम पंथी उग्रवाद को बढ़ावा देने के प्रमुख कारणों में से एक है वन भूमि से जनजातीय लोगों का दूर किया जाना।
- जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा संबंधी दशाओं पर गठित एक उच्च स्तरीय समिति के रिपोर्ट में भी जनजातीय लोगों के अधिकारों के उल्लंघन हेतु सरकारी नीतियों को दोषी बताया गया है।
- संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों में गैर-जनजातीय लोगों को संपत्ति निर्माण का अधिकार नहीं है, वहीं दूसरी ओर जनजातीय क्षेत्रों में खनन की प्रकृति शोषक है क्योंकि इनके लाभ क्षेत्र को नहीं मिलते।

जनजातीय बच्चों को सरकारी विद्यालयों में उचित सेवा नहीं उपलब्ध कराई गयी।

- राज्य द्वारा संचालित जनजातीय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर निराशाजनक होता है।
- सरकारी विद्यालयों के अधिकाँश जनजातीय बच्चों में सामान्य साक्षरता एवं कौशल की कमी पायी जाती है।
- 2001 में सरकार द्वारा केवल जनजातीय समुदायों से ही शिक्षकों की भर्ती का निर्णय लिया गया था। इसके बाद से प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा बन गयी है।
- अनोखी जनजातीय जीवन शैली (भिन्न भाषाएँ तथा बोलियाँ, संस्कृति तथा खान-पान संबंधी आदतें) से अलगाव तथा आश्रम विद्यालयों में उन पर आरोपित ज्ञान के कारण उनकी पहचान का तथा जनजातीय बच्चों के बीच जुड़ाव का संकट उत्पन्न हो गया है।
- विशिष्ट रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों (पी.वी.टी.जी.) के विद्यार्थी विद्यालयों में अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं।
- अधिक समेकित जनजातियों से लिए गए ज्यादातर शिक्षकों में पी.वी.टी.जी. की संस्कृति की समझ नहीं होती है।

समाधान

- शिक्षकों की कौशल एवं क्षमता पर ध्यान दिए जाने की तात्कालिक आवश्यकता है।
- शिक्षकों को आज की शिक्षा प्रणाली के साथ ताल-मेल बिठाना होगा। इसके लिए कौशल संबंधी पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

जनजातीय स्वास्थ्य सेवा संबंधी मुद्दे तथा नीतिगत हस्तक्षेप

- शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, बाल लिंगानुपात, कुपोषण, रक्ताल्पता, मलेरिया तथा फ्लोरोसिस की उच्च उपस्थिति जनजातीय स्वास्थ्य के मार्ग के सबसे बड़े अड़चनों में से है।
- स्वास्थ्य सेवा तथा जनजातीय विकास के कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट में खासी कमी जनजातीय लोगों के लिए मूल स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के मार्ग की चुनौती बन कर सामने आती हैं।
- जनजातीय लोगों के बीच सिक्कल सेल रोग।

समाधान

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के शोधग्राम गाँव में "जनजातीय स्वास्थ्य संबंधी सर्वोत्तम आचार" पर एक कार्यशाला के आयोजन का निश्चय किया है।
- इस कदम का अर्थ सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों की स्वास्थ्य संबंधी अनोखी तथा विभेदक आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करना है।
- आई.सी.एम.आर. ने 18 राज्यों में सिक्कल सेल रोग के लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के द्वारा लाखों जनजातीय लोगों को स्वंय के इस रोग के वाहक हैं या उनक भीतर इस रोग के जीन हैं।
- राज्य द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि सिक्कल सेल रोग के वाहकों (जिनमें मुख्यत: लड़कियां होती हैं) को किसी भेद-भाव का सामना न करना पड़े।
- भारत के नवजात शिशुओं तथा जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए तथा उन पर समुदाय आधारित कार्य तथा शोध की तात्कालिक आवश्यकता है।

(जनजातीय अधिकारों पर ज़ाज़ा समिति की अनुशंसाओं के लिए जनवरी माह की हमारी सामग्री देखें।)

समुद्री मत्स्य पालन

समाचारों में क्यों?

हाल ही में समुद्री मत्स्य नीति में संशोधन करने हेतु राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

नीति में संशोधन क्यों?

- समुद्री मत्स्य पालन पर मीना कुमारी समिति की रिपोर्ट पर देश भर में विरोध प्रदर्शनों की लहर उठने के पश्चात् सरकार ने संशोधित नीति को आगे बढ़ने का निर्णय किया है।

- इस नीति से पूरे देश में मत्स्य पालन का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा।
- विश्व में मत्स्य उत्पादन में द्वितीय स्थान रखने वाले भारत के लिए, समुद्री मत्स्य पालन में इसकी आबादी की पोषण संबंधी आवश्यकता पूरी करने की बड़ी क्षमता है।

मत्स्य पालन क्षेत्र: परिप्रेक्ष्य

- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है और वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 5.43% का योगदान करता है।
- भारत मत्स्य पालन के माध्यम से मत्स्य का प्रमुख उत्पादक है और चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है।
- मत्स्य पालन, भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। यह देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है।
- इसे आय और रोजगार के शक्तिशाली स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है क्योंकि यह कई सहायक उद्योगों के विकास को भी प्रेरित करता है और यह विदेशी मुद्रा अर्जक होने के अतिरिक्त सस्ते और पौष्टिक भोजन का स्रोत भी है।
- यह देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका का स्रोत है। यह हमारे देश में लगभग 15 लाख लोगों की आजीविका को सहारा देता है।
- सवतंत्रता के उपरांत, मत्स्य उत्पादन 1950-51 में 7.5 लाख टन से बढ़कर 2014-15 के दौरान 100.70 लाख टन हो गया और वर्ष 2014-15 में 33,441 करोड़ रुपये (यूएस $ 5.51बिलियन) की निर्यात आय कृषि क्षेत्र से होने वाली निर्यात आय के लगभग 18% के समतुल्य है।

समुद्री मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दे

- केरल और अन्य तटीय राज्यों में मछली पकड़ने वाले समुदायों ने विशेषज्ञ समिति के गठन के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है क्योंकि इसमें हितधारकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया है।
- नीतियां मछुआरों की आजीविका से जुड़ी चिंताओं को दूर करने में विफल रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि बड़ी चुनौती बन गयी है।
- भारतीय जल क्षेत्र में विदेशी ट्रॉलर का प्रचालन।
- मत्स्यिकी के विनाशकारी तरीके।
- गैर-मत्स्यिकी गतिविधियों के लिए तटीय क्षेत्रों का अतिक्रमण।
- ओलिव रिडले कछुओं के संभोग और अंडे देने के मौसम में समुद्र में मोटर चालित नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने पर प्रतिबंध उड़ीसा के मछुआरों के लिए चिंता का प्रमुख विषय है। इस प्रतिबंध से लगभग 3000 मछुआरा परिवार प्रभावित हुए हैं।
- अन्य साधनों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित के लिए मछुआरों का प्रवासन।
- मछली पकड़ने में कमी से समुद्री मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयां बुरी तरह से प्रभावित हुईं हैं।
- मत्स्य संसाधनों और मत्स्य उत्पादन के संदर्भ में उनकी क्षमता के आकलन पर सटीक आंकड़ों का अभाव।
- तकनीकी नवोन्मेष की कमी- फिन और शेल पालन, उपज संवर्धन, मछली पकड़ाई और इसके उपरांत हावेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट) उपरांत प्रचालनों के लिए संधारणीय प्रौद्योगिकी के विकास की तत्काल आवश्यकता है।
- अवसंरचनात्मक चुनौती– मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए अपर्याप्त लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं।

गहरे समुद्र में मत्स्यिकी पर डॉ बी. मीना कुमारी आयोग

गहरे समुद्र संबंधी मत्स्यिकी नीति की व्यापक समीक्षा के लिए डॉ बी. मीना कुमारी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसाओं का पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने वाले समुदायों द्वारा विरोध किया गया था, अनुशंसाओं से जुड़े कुछ मुद्दें इस प्रकार हैं:

- प्रादेशिक जल क्षेत्र से परे 22 कि.मी. और 370 कि.मी. के बीच- ईईजेड में मछली पकड़ने के लिए हाल ही में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों में इस क्षेत्र में केंद्र से "अनुमति पत्र" प्राप्त करने पर 15 मीटर या उससे अधिक की लंबाई वाले जहाजों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
- इन जहाजों का स्वामित्व या अधिग्रहण भारतीय उद्यमियों द्वारा या 49 प्रतिशत तक विदेशी निवेश वाले संयुक्त उपक्रम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।
- पारंपरिक मछुआरों को भय है कि इस प्रकार के मत्स्यिकी उपक्रम अभी उनकी पहुंच के भीतर आने वाले कुछ क्षेत्रों में अतिक्रमण करके उनकी आजीविका को खतरे में डाल देंगे।

सबसे विवादास्पद अनुशंसाओं में से एक तट के साथ-साथ निकट तटीय और अपतटीय क्षेत्रों (गहराई में 200 मीटर और 500 मीटर के बीच पानी) के बीच बफर जोन का निर्माण और "निकट तटीय क्षेत्रों के साथ ही ईईजेड 'में गहरे समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों का संवर्धन करने के लिए वहाँ मत्स्यिकी का विनियमन है।

समाधान

हाल ही में सरकार ने सभी विद्यमान योजनाओं को मिलाकर एक वृहद योजना 'नीली क्रांति : मत्स्य पालन का समन्वित विकास और प्रबंधन' तैयार की है।

- इस वृहद योजना में अंतर्देशीय मत्स्य पालन, गहरे समुद्र में

मत्स्यिकी, मारी-कल्चर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एन. एफ.डी.बी.) द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों सहित, मत्स्य पालन और समुद्री मत्स्य पालन का समावेश होगा।

- उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का विकास।
- मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, स्वच्छ हैंडलिंग और घरेलू मत्स्य विपणन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- मछुआरों, मत्स्य कृषकों और मत्स्य पेशेवरों का क्षमता निर्माण, परिवहन, भंडारण एवं प्रसंस्करण सहित अवसंरचना को मजबूत बनाना।
- अग्र-पश्च् संयोजन के साथ विपणन सुविधाओं का सृजन।
- मत्स्यिकी बंदरगाह और मत्स्य लैंडिंग केन्द्रों के रूप में पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं।
- मत्स्य पालन क्षेत्र की रोजगार पैदा करने की क्षमता बढ़ाना।
- कम प्रयोग गहरे समुद्र में और ट्यूना, शार्क, सेल फिश और संबद्ध प्रजातियों जैसे समुद्री संसाधनों की दिशा में मत्स्यिकी का विविधीकरण।
- अभिनव प्रणाली के रूप में मछुआरों को सम्मिलित करते हुए उच्च मूल्य वाली फिन और शेल मछलियों के लिए ओपन सी केज कल्चर का निर्माण।
- जलाशयों और अल्प प्रयुक्त जल निकायों में कल्चर आधारित कैप्चर मत्स्य पालन अपनाना।
- एक ही एजेंसी के अधीन मत्स्य पालन से संबंध रखने वाले सभी क्षेत्रों के विभागों/संगठनों की नेटवर्किंग।
- एफ.एफ.डी.ए और सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी) की भागीदारी में सुधार करना और मछुआरों का सामाजिक, आर्थिक कल्याण और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।

नीली क्रांति

इसमें "संधारणीयता, जैव-सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन के एकीकृत और समग्र विकास व प्रबंधन के लिए अनुकूल माहौल बनाने" की कल्पना की गई है।

संविधान दिवस

- 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया।
- 'संविधान दिवस' डॉ बी.आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्यन में साल भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी समारोह का भाग है।
- संविधान दिवस का उत्सव मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल मंत्रालय है।

संविधान दिवस क्यों मनाएं:

- ऐसे समय में, जब इतना अधिक वैचारिक संघर्ष हो रहा है, असमानता बढ़ रही है और महिला अधिकारों का दमन हो रहा है, केवल हमारे देश का संविधान ही सभी को बांध सकता है।
- इस कदम से न केवल उन कुछ बड़े नेताओं की यादों को पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी जिन्होंने दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने में सहायता की थी बल्कि यह भी आशा है कि इससे एक बार पुन: उस भावना को बढ़ावा देने में भी सहायता मिलेगी जिसके तहत इसे अपनाया गया था।
- संविधान दिवस एक बार पुन: संविधान के आदर्शों में हमारे विश्वास की पुष्टि करता है।

समाधान

- संविधान के आदर्शों को भारत के नागरिकों के जीवन के तौर-तरीकों में समाविष्ट करने की आवश्यकता है और इसके साथ ही इसे विद्यालयों में प्रक्रिया का अंग बनाया जाना चाहिए ताकि भविष्य के नागरिक अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में इन आदर्शों का प्रदर्शन करें।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बारहमासी सड़कों के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण संपर्क प्राप्त करने के लक्ष्य को तीन साल घटा दिया गया है। यानी वर्ष 2022 के स्थान पर वर्ष 2019 तक ।
- इस त्वरित कार्यान्वयन को वर्ष 2015-16 के लिए 5,000 करोड़ रुपये तक संवर्धित वित्तीय आवंटन और संशोधित वित्तपोषण पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
- फंड के बंटवारे का पैटर्न उत्तर-पूर्व के 8 और 3 हिमालयी राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में होगा। उत्तर-पूर्व के 8 और 3 हिमालयी राज्यों के लिए यह 90:10 होगा।
- ऐसा राज्यों को अधिक धन हस्तांतरित करने की 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के परिणामस्वारूप किया गया है।
- इस योजना के लिए अधिक धन राशि आवंटित करने के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से ग्रामीण अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले, राज्यों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करने के लिए आवधिक रखरखाव के व्यय के लिए भी फंड का प्रस्ताव किया जा रहा है।

इस योजना के विषय में कुछ तथ्य:

- सभी पात्र असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से पी.एम.जी.एस.वाई का शुभारंभ वर्ष 2000 में केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय नोडल मंत्रालय है और इस योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (एन.आर.आर.डी.ए) कर रही है।

- पी.एम.जी.एस.वाई-1 के अंर्तगत 1,78,184 असंबद्ध बस्तियों की पहचान की गई थी। हालांकि, अभी तक कार्यान्वयन के 15 वर्षों में, केवल 1,12,550 बस्तियों (63%) को ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों से जोड़ा जा सका है।
- प्राथमिकता आधार पर सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई) के अंर्तगत संसद सदस्यों द्वारा गोद लिए गए मॉडल गांवों में ग्रामीण सड़कें प्रदान करने के लिए सरकार ने फरवरी 2015 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया था।

नदियों का अंत संपर्क

समाचारों में क्यों:

सरकार ने नदी जोड़ों (आई.एल.आर) कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता आधार पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी) के अंर्तगत ले लिया है और केन-बेतवा लिंक परियोजना, दमनगंगा-पिंजल लिंक परियोजना और पार-तापी-नर्मदा लिंक परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पूरी हो गई है।

राष्ट्रीय नदी संपर्क परियोजना (एन.आर.एल.पी):

औपचारिक रूप से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के रूप में विदित राष्ट्रीय नदी संपर्क परियोजना (एन.आर.एल.पी) में बाढ़ वाले 'अतिरिक्त' बेसिनों से पानी अंतर-बेसिन जल स्थानांतरण के माध्यम से सूखे/अभाव वाले 'जलहीन' बेसिनों में पानी पहुंचाने की परिकल्पना की गई है।

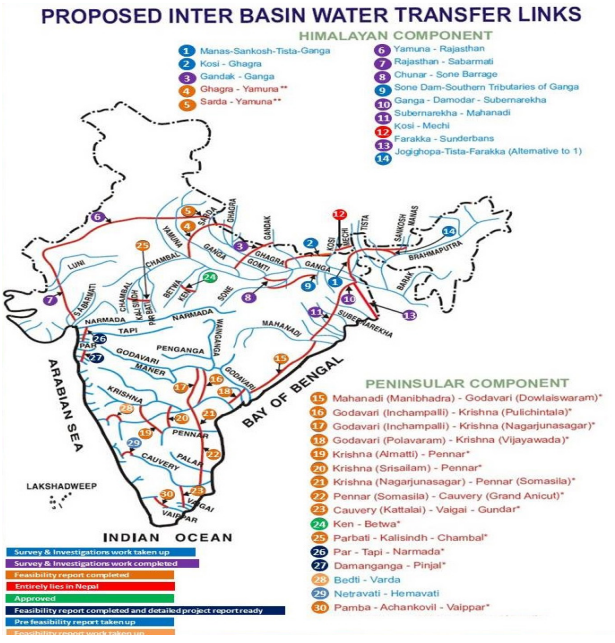

इसमें विशाल दक्षिण एशियाई जल ग्रिड का निर्माण करने के लिए लगभग 3000 भंडारण बांधों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में 37 नदियों को जोड़ने के लिए 30 कड़ियों का समावेश होगा। इसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय, दो घटक सम्मिलित हैं।

इस परियोजना के लाभ:

- जल विद्युत उत्पादन: इससे कुल 34 गीगावॉट विद्युत उत्पादन होने का दावा किया जाता है।
- सिंचाई लाभ: पानी की कमी से जूझ रहे पश्चिमी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में 35 लाख हेक्टेयर (मि हेक्टेयर) के लिए अतिरिक्त सिंचाई क्षमता की व्यवस्था होगी। इसमें सतही सिंचाई के माध्यम से 25 मि. हे. और भूमिगत जल के माध्यम से 10 मि. हे. सम्मिलित है। इससे आगे रोजगार सृजन होगा, फसलोत्पादन और कृषि आय को बढ़ावा मिलेगा और पिछड़े (कृषि उपकरण और अदान की आपूर्ति) और अग्र संबद्धता (कृषि प्रसंस्करण उद्योगों) के माध्यम से लाभ गुणित होंगे।
- बाढ़ की रोकथाम: नदियों के नेटवर्क से सूखे का सामना कर रहे क्षेत्रों में अतिरिक्त पानी भेजकर इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है।
- नौवहन: नहरों का नव निर्मित नेटवर्क नए मार्गों और तरीकों और सामान्यत: सड़क परिवहन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक कुशल और सस्ते जल परिवहन का मार्ग खोलेगा।
- भारत में विश्व के कुल अक्षय जल संसाधनों का, सातवां सबसे विशाल चार प्रतिशत भण्डार है। इस मात्रा में से केवल 58% संभावित रूप से उपयोगी जल संसाधन (पी.यू.डब्लू.आर) है। भारत में प्रचुर जल संसाधनों के बावजूद, इसका प्रति व्यक्ति भंडारण दुर्भाग्य से बहुत कम मात्र प्रति व्यक्ति 200 मि3 है, जबकि चीन में यह 2486 मि3 है। एन.आर.एल.पी के पूरा हो जाने पर प्रति व्यक्ति पी.यू.डब्लू.आर भंडारण को बढ़ावा मिलेगा।

चिंताएं:

- प्राकृतिक जल निकासी में परिवर्तन करने से देश और जल संसाधनों को अपूर्णनीय क्षति होगी, बाढ़ आएगी और जल जमाव होगा तथा विशाल क्षेत्र डूब जाएंगे जिससे असंख्य लोगों का विस्थापन होगा।
- इसे लेकर भी चिंताएं हैं कि इतने बड़े पैमाने पर नदी से अतिरिक्त पानी नहीं मोड़ा जाना चाहिए क्योंकि नदी घाटियों को स्वस्थ बनाएं रखने के लिए अधिशेष जल आवश्यक है क्योंकि यह मिट्टी से रिसकर नीचे जाता है और भूजल को रिचार्ज करता है।
- साफ़ सुथरी नदी से विषैली नदी जोड़ने पर नदियों, मनुष्यों और वन्य जीवों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
- इस परियोजना से राज्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पानी को लेकर संघर्ष पैदा हो सकते हैं। देश पहले से ही पंजाब-हरियाणा-राजस्थान के बीच रावी-व्यास जल विवाद, केरल-कर्नाटक-तमिलनाडु-पुडुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद जैसे कई अंतर-राज्यीय जल विवादों से जूझ रहा है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर

- तीस्ता के पानी को लेकर बांग्लादेश के साथ,
- ब्रह्मपुत्र के पानी को लेकर चीन के साथ और
- महाकाली के पानी को लेकर नेपाल के साथ ।

भारत में हरित क्रांति

समाचारों में क्यों?

भारत में हरित क्रांति के आगमन के उपलक्ष्य में हरित क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है।

हरित क्रांति की पृष्ठभूमि

- नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में राज्य के स्वामित्व के अंर्तगत भारी औद्योगीकरण विकास नीति का मुख्य आधार और आधुनिकीकरण का प्रतीक था। हालांकि, खाद्य पदार्थों के लिए भारत ने रुपये के भुगतान के प्रति पब्लिक लॉ 480 (पीएल -480) के अंर्तगत संयुक्त राज्य अमेरिका से आपूर्ति पर भरोसा किया था क्योंकि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खरीद करने के लिए प्रर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी।
- इस व्यवस्था की खमियां 1960 के दशक के मध्य में तब स्पष्ट हो गईं जब अमेरिका ने (कुछ राजनीतिक मतभेदों के कारण) अस्थायी रूप से गेहूं की आपूर्ति ऐसे समय में रोक (निलंबित) दीं जब भारत बार-बार पड़ने वाले सूखे का सामना कर रहा था और देश "जहाज से सीधे मुँह तक" वाली स्थिति में रह रहा था।
- भारत ने अपनी पीएल-480 की गलती और कृषि की उपेक्षा से तुरंत सीख ली। भारत ने अनुभव किया कि यदि उसने मूलभूत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त नहीं की तो उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है।
- भारत ने 1966 में मैक्सिको से 18,000 टन गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्मों (एच.वाई.वी.) का आयात किया और इस प्रकार हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ।

भारत में हरित क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण घटक इस प्रकार हैं:

- बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्में (एच.वाई.वी)।
- सिंचाई (क) सतही और (ख) भूमिगत।

उर्वरकों (रासायनिक), कीटनाशकों और पीड़कनाशकों का प्रयोग।

- कमान क्षेत्र विकास (सी.ए.डी)।
- भूमि सुधार और जोतों का समेकन।
- कृषि ऋण की आपूर्ति।
- ग्रामीण विद्युतीकरण।
- ग्रामीण सड़कें और विपणन।
- कृषि का यंत्रीकरण।
- कृषि विश्वविद्यालय।

हरित क्रांति का प्रभाव:

- खाद्य उत्पादन में वृद्धि: 1967-68 से,
- गेहूं के उत्पादन में लगभग 15 गुना की वृद्धि हुई है।
- चावल का उत्पादन पांच गुने से भी अधिक बढ़ चुका है।
- भारत न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि कृषि उपजों का शुद्ध निर्यातक भी है। वर्ष 2014-15 में $20 बिलियन डॉलर से भी कम आयात के विरूद्ध भारत का कृषि निर्यात $38 बिलियन डॉलर का था। भारत विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- किसानों की समृद्धि: यह स्थिति, विशेष रूप से 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों के साथ है।
- औद्योगिक विकास: हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि का बड़े पैमाने पर मशीनीकरण हुआ जिससे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कम्बाइन, डीजल इंजन, विद्युत मोटर, पंप सेट आदि जैसी मशीनों के लिए मांग पैदा हुई। इसके अतिरिक्त रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, पीड़कनाशकों, खरपतवार नाशाकों आदि की मांग में भी काफी वृद्धि हुई है। फलस्वरूप, इन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों ने कई गुना प्रगति की है। इसके अतिरिक्त, कृषि आधारित उद्योगों में कई कृषि उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है।
- ग्रामीण रोजगार: जहां एक ओर, खेती के मशीनीकरण से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की आशंका जताई जा रही थी, वहीं कई फसलें लेने के चलते श्रम बल की मांग में सराहनीय वृद्धि हुई है।
- किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन: जिस प्रकार से किसानों ने तत्परता से हरित क्रांति की तकनीक को अपनाया उससे यह मिथक टूट गया कि भारतीय किसान परंपरा से बंधे हुए हैं और नई पद्धतियों और तकनीकों का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

हरित क्रांति की कमियां:

- आई.डी.ए.पी और एच.वाई.वी.पी के माध्यम से नवीन कृषि नीति का अंगीकरण निवेश की भारी राशि की अनिवार्यता के कारण बड़े किसानों के बीच ही सीमित होकर रह गया है।
- नवीन कृषि नीति संस्थागत सुधारों की आवश्यकता को स्वीकार करने में विफल रही है
- कृषि के मशीनीकरण में वृद्धि के साथ-साथ नवीन कृषि नीति से श्रम के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई है।
- हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन और आय के संदर्भ में अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को व्यापक बनाया है।
- हरित क्रांति में कीटनाशकों के उपयोग से दुर्घटनाओं और तीव्र विषाक्तता के कारण अशक्तता से उत्पन्न होने वाले कुछ अवांछनीय सामाजिक परिणाम भी निहित हैं।

हरित क्रांति के वर्षों के बाद आज एक बार पुन: भारतीय कृषि विकास की नई चुनौतियों के साथ चौराहे पर खड़ी है। प्राकृतिक संसाधनों का रिक्तीकरण और क्षरण, जलस्तर में गिरावट, नदियों, झीलों में पानी के प्रवाह में कमी, जैविक और अजैविक दबाव, जलवायु परिवर्तन आदि

हमारी प्रमुख चुनौतियां हैं। आज हमें ऐसी रणनीतियों का विकास करने की आवश्यकता है जिससे धारणीय उत्पादकता लाभ और साथ ही खेती की लाभप्रदता का मार्ग प्रशस्त हो।

दूसरी हरित क्रांति

इस हेतु हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए और संवृद्धि बढ़ाने जैसी अल्पकालिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग, मृदा स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन जैसी दीर्घावधिक चिंताओं पर पर्याप्त ध्यान देते हुए विगत अनुभव से कुछ सबक अवश्य लेने चाहिए।

- पर्यावरण अनुकूल साधनों का उपयोग करने के माध्यम से धारणीय कृषि का उपयोग।
- स्थानीय भौगोलिक और जलवायविक स्थिति, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता और प्रकृति, पानी, मानव संसाधन एवं अवसंरचना सुविधाओं की उपलब्धता व उत्पादन लागत को ध्यान में रखना।
- जैव उर्वरकों तथा जैव कीटनाशकों का प्रयोग।
- जैविक खेती में अनुसरण किए जाने वाले व्यवहार जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल संरक्षण सम्मिलित है- 'प्रति बूंद अधिक फसल'।
- इसमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों का उपयोग भी सम्मिलित है।
- सूचना प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, परिशुद्ध कृषि, जैवगतिशील खेती जैसी नई प्रौद्योगिकियों का गुलदस्ता।
- दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और बागवानी और पुष्प कृषि उत्पादन दोगुना करने के साथ-साथ फसलों का भारी विविधीकरण करना और कई फसलें लेना।
- भारत में यह अवधारणा और कार्यक्रम दोनों रूपों में विद्यमान है।
- वर्ष 2004 में सरकार ने "दूसरी हरित क्रांति" की घोषणा की।
- सरकार ने दूसरी हरित क्रांति को आगे बढ़ाने के क्रम में समय-समय पर कई अन्य कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया है, जैसे वर्ष 2010-11 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना के रूप में "पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना" (बी.जी.आर.ई.आई) कार्यक्रम।
- पूर्वी भारत के सात राज्यों (असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश) में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से (बी.जी.आर.ई.आई) कार्यक्रम।
- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने भारत में दूसरी हरित क्रांति लाने के विषय में चर्चा की है।
- केवल गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे पांच खाद्यान्नों पर केंद्रित हरित क्रांति के विपरीत, दूसरी हरित क्रांति अपने दायरे में संपूर्ण कृषि क्षेत्र को लेती है। इसलिए, इसे इंद्रधनुष क्रांति भी कहा जाता है।
- अपनी संभावनाओं के कारण भारत की पहली हरित क्रांति के वास्तु शिल्पी एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा दिए गए लोकप्रिय नाम सदाबहार हरित क्रांति के रूप में भी इसे जाना जाता है।

भारत में हरित क्रांति ने उपजाऊ मिट्टी और पानी की अच्छी उपलब्धता के बावजूद पूर्वी क्षेत्रों को लगभग बाईपास क्यों कर दिया था ? (प्र.22, प्रश्न पत्र - प्रथम, यूपीएससी, 2014)

सुर्खियों में ये भी...

स्वच्छ दिल्ली एप

- दिल्ली सरकार और नगर पालिकाओं ने 'स्वच्छ दिल्ली' मोबाइल एप का का शुभारंभ किया है यह एक नागरिक केन्द्रित एप है।
- दिल्लीवासी अब शहर में चारों ओर पड़े किसी भी कचरे या मलबे के ढेर की तस्वीर ले सकते हैं और इसे साफ करने के लिए सरकार या नगर निगमों के केंद्रीकृत एप पर इसे अपलोड कर सकते हैं।
- तस्वीरें स्वचालित रूप से उस स्थान के जी.पी.एस. निर्देशांक में सम्मिलित हो जाएंगी और सफाई का काम एजेंसी को सौंपा जाएगा।
- दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग मलबा साफ करेगा और तीन निगम, नई दिल्ली महानगर पालिका परिषद और दिल्ली छावनी बोर्ड अपने अधिकारक्षेत्र का कचरा उठाएंगे।

न्यायिक स्वतंत्रता

(हमने अक्टूबर की समसामयिकी में भी एन.जे.ए.सी को सम्मिलित किया था। यह कुछ अतिरिक्त सामग्री है)

पृष्ठभूमि

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम और 99वें संविधान (संशोधन) अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया और कहा कि यह न्यायिक स्वतंत्रता को सीमित करके संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है।
- अब सर्वोच्च न्यायालय ने 21 साल पुरानी कॉलेजियम प्रणाली में सुधार करने का बीड़ा उठाया है।

मुद्दे

- न्यायपालिका में नियुक्ति हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अब भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिहाज से असंतोषजनक है।
- वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निष्पक्षता का अभाव है। विश्वास की कमी ने कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता को प्रभावित किया है।

- **नियुक्ति प्रक्रिया न्यायाधीशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को किस हद तक सुरक्षित करती है?**

न्यायिक स्वतंत्रता क्या है?

- कार्यपालिका और विधायिका सदृश सरकार के अन्य अंगों को न्यायपालिका के कामकाज को ऐसे नियंत्रित नहीं करना चाहिए कि यह न्याय न कर पाए।
- यह न्यायिक कार्यों के व्यवहार में सभी दबावों से मुक्ति के विषय में है।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण क्यों है?

- यह लोकतंत्र का मूल है क्योंकि न्यायपालिका कानून द्वारा शासन और मानवाधिकारों के संरक्षण की प्राप्ति में सहायता करती है।
- यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता है जो जनता के मन में विश्वास जमाती है कि यदि कार्यपालिका द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो यह उनकी सहायता और बचाव के लिए आगे आएगी।

न्यायाधीशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्यों?

- न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी संस्थागत स्वतंत्रता।
- निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, मर्यादा, समानता, योग्यता आदि वे स्तंम्भ हैं जिस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता निर्भर है। इस प्रकार इन गुणों को सुनिश्चित करके न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सकती है।

न्यायिक स्वतंत्रता के समक्ष चुनौतियां

- न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड पर किसी स्पष्टता का न होना – भले ही न्यायिक चयन के लिए पात्र प्रत्याशियों के पूल का आंशिक रूप से संविधान द्वारा निर्धारण किया जाता है, लेकिन यह न्यायिक नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में सत्यनिष्ठा, उपयुक्तता, योग्यता, स्वतंत्रता आदि मानकों के विषय में चर्चा नहीं करता है।
- इसका अर्थ है कि न्यायिक चयन के लिए आवश्यक योग्यता का ध्यान रखा जाता है और चयनकर्ताओं पर उन्हें जो भी साधन उपलब्ध है उसके अनुसार उनका आकलन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
- कोलेजियम के न्यायाधीश अतीत में की गई गलत नियुक्तियों का औचित्य सिद्ध करने में असमर्थ हैं।
- उच्च न्यायालयों में 40 प्रतिशत तक रिक्तियां हैं, जिसे लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।
- लगभग बिना किसी पारदर्शिता के साथ अपारदर्शी कॉलेजियम प्रणाली।
- वर्तमान नियुक्ति तंत्र में कोई परिवाद निवारण तंत्र नहीं है।
- न्यायपालिका में भ्रष्टाचार।
- लंबित वादों का भारी बोझ।

न्यायिक स्वतंत्रता का मार्ग - न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कुशल प्रक्रिया स्थापित करने हेतु कुछ सुझाव

- न्यायिक नियुक्तियों के लिए पात्र व्यक्तियों का पूल बनाने के लिए निरीक्षण योग्य तरीका होना चाहिए।
- न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने के इच्छुक प्रत्याशियों से अपेक्षित मानदंडों और मानकों का निर्देश देने के लिए और उन लोगों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए।
- आवश्यक योग्यता का सत्यापन करने के उपरांत सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार कौंसिल या बार एसोसिएशनों आदि द्वारा नामांकन किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, प्रतिस्पर्धी योग्यता आधारित छंटनी प्रक्रिया की मदद ली जा सकती है।
- आपत्तियों को बताते हुए छांटे गए सभी प्रत्याशियों का नाम उचित अवधि के लिए न्यायालय की वेबसाइट पर डाला जा सकता है।
- आवेदनों की छंटनी करने और चयन के प्रारंभिक चरण में आपत्तियों/शिकायतों का उत्तर देने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की तकनीकी समिति भी हो सकती है। और प्रक्रिया का यह भाग सूचना के अधिकार के लिए खुला होना चाहिए।
- इसके बाद कॉलेजियम अंतिम सूची तैयार करने के लिए छांटे गए प्रत्याशियों का साक्षात्कार ले सकता है।
- सत्यनिष्ठा, स्वतंत्रता, समानता की भावना और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक अन्य मूल्यों की सीमा मापने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण चयन प्रक्रिया का अंग होना चाहिए।
- स्थायी सचिवालय की आवश्यकता-चूंकि प्रक्रिया लंबी, समय लेने वाली और तकनीकी है इसलिए मुकदमों में अत्यधिक व्यस्त न्यायाधीश प्रत्यांशियों की स्क्रीनिंग के लिए अधिक समय नहीं समर्पित कर सकते हैं। इसे संभालने के लिए एक स्थाई सचिवालय होना चाहिए। "अंतहीन" चयन प्रक्रिया की दिशा में सचिवालय का होना प्रयासों को सहारा देगा।
- प्रक्रिया तेज करने के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाने और डिजीटाइज् करने की आवश्यकता है।
- मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के कॉलेजियम के मार्गदर्शन के अंर्तगत स्थानान्तरण और प्रोन्नति को संभालने के लिए कॉलेजियम सचिवालय द्वारा सभी न्यायाधीशों और न्यायिक पदों के प्रत्याशियों का डेटाबैंक तैयार किया जा सकता है।
- प्रत्येक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम की सदस्यता का विस्तार किया जाना चाहिए। न्यायिक नियुक्तियों में सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों का इस प्रकार के विस्तारित निकाय में समावेश किया जा सकता है।

- कुशल न्यायाधीश बनने के लिए अधिवक्ताओं को संस्थागत शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकता है।
- प्रस्तावित संस्थागत तंत्र को न्यांयाधीशों के आचरण पर भी अपने विचार व्यक्त करने चाहिए।
- न्यायिक स्वतंत्रता से कोई समझौता किए बिना न्यायाधीशों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त करने और निपटाने वाला तंत्र भी होना चाहिए।

न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत न्याय प्रणाली के मूलभूत मूल्यों में से एक है। न्याय प्रशासन इस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित होना चाहिए और इस प्रकार के सिद्धांतों का वास्तविक प्रयासों में रूपांतरण करने की तत्काल आवश्यकता है।

आवारा कुत्तों का खतरा

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निगम के प्राधिकारियों को आवारा कुत्तों की अंधाधुंध हत्या रोकने के निर्देश दिए हैं भले ही हत्याएं समाज को कुत्तों के खतरे से बचाने के लिए ही क्यों न की जा रही हो।

मुद्दा:

- आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों को काटने की बढ़ती हुई घटनाएं, केरल में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार घटित होना।
- अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों की संख्या में वृद्धि जनता के लिए आतंक पैदा कर रही है।
- हर साल देश में एक लाख से भी अधिक आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं की सूचना मिलती है और 2015 के पहले छह महीनों में 11 लोगों की रेबीज से मृत्यु हो गई।

पशुओं के प्रति **क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, पशु कल्याण बोर्ड** को यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाने की अनुमति देता है, जो बोर्ड को उपयुक्त लगे, कि अवांछित जानवर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उन्मूलित किए जाएं। धारा 9 (एफ) या तो तत्क्षण या दर्द या पीड़ा को बेसुध हो जाने के बाद आवारा जानवरों को मारने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाती है।

धारा 11 (3) (बी) (सी) "घातक कक्षों में आवारा कुत्तों के विनाश" और "तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के प्राधिकार के अंर्तगत किसी भी जानवर के खात्मे या विनाश" के लिए प्रावधान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:

- प्राधिकारियों को आवारा कुत्तों के प्रति दया और मनुष्यों के जीवन के बीच संतुलन कायम करना चाहिए।
- प्रशासनिक खामियों के चलते कुत्तों के काटने से मनुष्यों को पीड़ा नहीं भुगतनी चाहिए।
- नगर पालिका के अधिकारी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंर्तगत कानून का पालन करें और आवारा कुत्तों की सार्वजनिक हत्या रोकें।
- सरकार को आवारा कुत्तों से बच्चों को बचाने के लिए नीति तैयार करनी चाहिए।
- आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने हेतु उनके लिए प्रभावी टीकाकरण और नसबंदी लागू करने पर भी पीठ ने उत्तर मांगा है।

समाधान

सरकार को अवारा कुत्तों को पकड़ने और उनहें ढोने के लिए रैंप सहित वैन की पर्याप्त संख्या उपलब्ध करानी चाहिए।

अधिकारियों को नसबंदी और टीकाकरण के लिए मोबाइल केंद्र के रूप में एम्बुलेंस-सह-नैदानिक वैन उपलब्ध कराना चाहिए।

सूचना का अधिकार कानून के 10 साल-सफलताएं

(मई के अंक में हमने इस अधिनियम की अड़चनों और विफलताओं का समावेश किया था) प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं-

- सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के कार्यान्वयन के 10 साल पूरे हो गए हैं। इसने विगत 10 सालों में सरकारी मशीनरी की सोच और कामकाज की शैली को परिवर्तित कर दिया है।
- सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कम से कम 50 लाख आर.टी.आई. आवेदन दायर किए जाते हैं।
- पिछले दशक के दौरान, भारत की कम से कम 2 प्रतिशत आबादी ने इस कानून का प्रयोग किया था।

आर.टी.आई. अधिनियम ने सक्रियता और नागरिकता की नई नस्ल किस प्रकार पैदा की है?

- आर.टी.आई. अधिनियम के कार्यान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद जनता ने सोत्साह इसका प्रयोग किया है और इसे किसी दूसरे कानून से ज्यादा महत्व दिया। लोगों ने इसका प्रत्येक आक्रमण के विरुद्ध बचाव किया और निरंतर उपयोग किया है।
- सत्ता को उत्तरदायी बनाने के प्रयास की असमान लड़ाई में यह गरिमा, समानता, सार्वजनिक नैतिकता और कुछ सीमा तक इन्हें लागू करने की क्षमता संबंधी मानव इच्छा के लिए आशा की भावना प्रदान करता है।
- भारत जैसे लोकतंत्र में लोग नागरिकता, हकों और नैतिकता के दावों के साथ सार्वजनिक जीवन में व्यवहार में कुछ तार्किकता स्थापित करने के लिए प्रतिदिन संघर्ष करते हैं। सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकारों के मुद्दे को संबोधित करता है और लोगों को उत्तर मांगने में समर्थ बनाता है।
- आर.टी.आई. के प्रति उत्साही लोग प्राय: आम लोग होते हैं। वे

न केवल आवेदन दायर करते हैं बल्कि धाराओं, वादों, आवेदनों और उत्तरों पर बहस करते हुए अनगिनत घंटे व्यय करते हैं। इस प्रकार, प्रश्न पूछने की संस्कृति को प्रोत्साहित करते हैं।

- आर.टी.आई. साझा तर्क के आधार पर प्रत्येक दृष्टिकोण के लिए दूसरे दृष्टिकोण के साथ समझ पैदा करने हेतु मंच प्रदान करता है। यह नीतिगत पक्षाघात से बचने में हमारी सहायता कर सकता है और अपेक्षाकृत अधिक सूचित, न्यायसंगत और सशक्त निर्णयन प्रक्रिया का निर्माण कर सकता है।
- साथ ही आर.टी.आई. प्रश्न पूछने वाले लोगों की मानसिकता बदलने में भी सहायता करता है इसलिए स्पष्ट रूप से एक ही मानक लागू होने चाहिए।

सूचना का अधिकार अधिनियम ने सरकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता के प्रतिमान की स्थापना की है। इसने राजनीतिक सत्ता धारण करने वाले लोगों को उत्तरदायी बनाने के लिए आम लोगों को अधिकार संपन्न बनाया है।

अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध: भारत एंव विश्व

भारत और आई.बी.एस.ए.

हाल ही में कैबिनेट ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आई. बी.एस.ए.) के बीच निर्धनता और भूख के खत्म करने उपशमन के लिए त्रिपक्षीय आई.बी.एस.ए. कोष समझौते पर हस्ताक्षर करने का अनुमोदन किया।

आई.बी.एस.ए. कोष:

- आई.बी.एस.ए.कोष 2004 में आई.बी.एस.ए. वार्ता फोरम के अंतर्गत सहयोग के तीन स्तम्भों में से एक के रूप में स्थापित किया गया था।
- अन्य दो स्तम्भ वैश्विक राजनैतिक मुद्दों पर परामर्श और सहयोग तथा यथार्थपूर्ण क्षेत्रों और परियोजनाओं में त्रिपक्षीय सहयोग हैं।
- आई.बी.एस.ए. कोष तीसरी दुनिया के देशों में विकास परियोजनाएँ संचालित करता है। आई.बी.एस.ए. कोष से वित्तपोषित की जाने वाली प्रथम परियोजना कृषि और पशुधन विकास के सहयोग हेतु थी।
- आई.बी.एस.ए. का प्रत्येक सदस्य देश इस कोष में वार्षिक रूप से 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करता है।

भारत पुन: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद का सदस्य निर्वाचित

भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आई.एम.ओ.) की समिति में श्रेणी ''बी'' के अंतर्गत, लंदन में संपन्न आई.एम.ओ. की सभा के 29वें सत्र में पुन: निर्विरोध निर्वाचित किया गया है।

आई.एम.ओ. संबंधी तथ्य:

- आई.एम.ओ. संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इस पर नौवहन की सुरक्षा, संरक्षा तथा जलयानों द्वारा महासागरीय प्रदूषण की रोकथाम का उत्तरदायित्व है।
- आई.एम.ओ. का मुख्य कार्यालय लंदन (यूनाइटेड किंगडम) में है। इसमें 171 सदस्य राष्ट्र और तीन सहयोगी सदस्य हैं।
- आई.एम.ओ. की समिति में 40 सदस्य देश हैं। इनका निर्वाचन आई.एम.ओ. की सभा द्वारा किया जाता है।
- भारत, आई.एम.ओ. की कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाले शुरूआती सदस्यों में से एक है। जबसे आई.एम.ओ. ने अपना कार्य आरम्भ किया है, तबसे भारत को आई.एम.ओ. की समिति में निर्वाचित होने तथा सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त रहा है।

भारत, ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता लागू

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने भारत, ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु समझौते की प्रक्रियाओं की पूर्णता की घोषणा की। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अनुसार, प्रक्रियाओं की पूर्णता के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता लागू हो जाएगा।

पृष्ठभूमि:

- 1998 में परमाणु शस्त्रों का परीक्षण करने के बाद भारत ने पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना किया परन्तु 2008 में अमेरिका के साथ समझौते के बाद ये प्रतिबन्ध और साथ ही साथ ईंधन के सैन्य प्रयोग के विरुद्ध किए गए संरक्षण उपाय समाप्त हो गए।
- ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिल्ली को यूरेनियम का निर्यात करने पर लगाए गए लम्बे प्रतिबन्धों की समाप्ति के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2012 में यूरेनियम की बिक्री संबंधी वार्ताएँ आरम्भ की थीं।
- 2014 में, भारत के लिए यूरेनियम निर्यात पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह समझौता भारत में असैन्य उपयोग हेतु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण उत्पादन हेतु यूरेनियम की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.) का अनुसमर्थन न करने पर भी भारत द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता प्राप्त करने का कदम है।

महत्व:

- ऑस्ट्रेलिया, भारत के लिए यूरेनियम के दीर्घावधिक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता की भूमिका निभा सकता है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व के लगभग एक तिहाई प्राप्ति योग्य संसाधन हैं और इनमें से प्रतिवर्ष लगभग 7000 टन का निर्यात करता है।
- यह समझौता संधारणीय विकास प्राप्त करने तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु परमाणु ऊर्जा और इसके उपयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान करता है।
- यह संधि ऑस्ट्रेलिया के साथ गहरी होती रणनीतिक संबंधो को रेखांकित करती है।

भारत और कुवैत

हाल ही में संघीय कैबिनेट ने दोहरे कराधान से बचाव हेतु भारत और कुवैत के बीच समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया।

- कुवैत में किसी भारतीय निवासी के संबंध में प्राप्त जानकारी को कुवैत के सक्षम प्राधिकरण द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है और ठीक ऐसा कुवैत भी कर सकता है।
- भारत और कुवैत ने प्रोटोकॉल के माध्यम से आयकर के संबंध में राजकोषीय अपवंचन को रोकने के लिए दोहरे कराधान से बचाव हेतु समझौते (डी.टी.ए.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं।

भारत और सिंगापुर द्वारा रणनीतिक साझेदारी का आरम्भ

भारत और सिंगापुर ने "रणनीतिक साझेदारी," वाली एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य सहयोग के नए क्षेत्रों को उत्प्रेरित करना है। इन क्षेत्रों में राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग से लेकर आर्थिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री की हाल ही की यात्रा के दौरान विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे:

- रक्षा सहयोग: रक्षा मंत्रियों के मध्य नियमित संवाद की स्थापना, सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त अभ्यास और सह-उत्पादन और सह-विकास के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग।
- नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने और भारत और सिंगापुर ने प्रौद्योगिकी और अनुसंधान पर सहयोग के लिए साइबर सुरक्षा में सुधार करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- शहरी योजना और अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहयोग तथा कलाओं, संग्रहालयों, अभिलेखागारों और स्मारकों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- नागरिक उड्डयन सेवाओं तथा जयपुर और अहमदाबाद हवाई अड्डों से प्रारम्भ करते हुए हवाई अड्डा प्रबंधन के कई पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- भारत ने कौशलों के विकास, प्रमुख रूप से बौद्ध क्षेत्र में पर्यटन तथा स्मार्ट शहरों के विकास के लिए सिंगापुर से विशेषज्ञता की मांग की थी । इस संबंध में, भारत का ध्यान सिंगापुर द्वारा पूर्वोत्तर में कौशल विकास संस्थान स्थापित करने पर है।

भारत और जापान संबंधों में नवीनतम

जापानी प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा:

- जापानी प्रधानमंत्री शिन्जो अबे की आगामी यात्रा के दौरान संयुक्त रूप से द्विधा (दो माध्यम में चलने वाले) गतिवाले सैन्य विमान उत्पादन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
- यह दोनों देशों के बीच पहला रक्षा सौदा हो सकता है।
- यह समुद्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को प्रतिसंतुलित करने के लिए समुद्री सुरक्षा के विषय पर भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों हेतु जापान की आकांक्षा को प्रतिदर्शित करता है।
- भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु समझौते पर अगले माह जापानी प्रधानमंत्री शिन्जो अबे की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होने की संभावना है।
- भारत और जापान ने 2010 में असैन्य परमाणु समझौते पर वार्ताएँ आरम्भ की। मगर, वार्ताएँ लंबे समय तक अटकी रही थीं क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि (एन.पी.टी.), व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.), और विखंडनीय सामग्री कटौती संधि (एफ. एम.सी.टी.) का हस्ताक्षकर्ता न होने की भारत के लिए जापान असहज अनुभव करता था ।
- परमाण दुर्घटना की स्थिति में परमाणु संयंत्र के विनिर्माता को उत्तरदायी ठहराने वाला भारत का परमाणु क्षति नागरिक उत्तरदायित्व अधिनियम (सी.एल.एन.डी.), 2010 जापान की चिंता का एक अन्य प्रमुख विषय था।
- मगर, भारत और जापान वैसे समझौते पर पहुँचने की संभावना है जैसा समझौता भारत और अमेरिका ने परमाणु प्रौद्योगिकियों तथा क्षतियों के उत्तरदायित्व जैसे मामलों के प्रबंधन के लिए हस्ताक्षरित किया।
- ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए, भारत का जापान के साथ समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि रिएक्टर पात्र असैन्य परमाणु संयंत्रों के महत्वपूर्ण भाग होते हैं और इनकी आपूर्ति पर जापानी कम्पनियों का लगभग एकाधिकार है।
- दोनों देशों के बीच समझौते के बिना ये फर्में उन फ्रांसीसी और अमेरिकी कम्पनियों को आपूर्ति नहीं कर सकतीं जिन्होंने भारत में परमाणु संयंत्रों को स्थापित करने के संबंधी समझौते किए हैं।
- भारत और जापान ने चेन्नई और अहमदाबाद मेट्रो हेतु आधिकारिक विकास सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- जापान ने इस वर्ष अक्टूबर में भारत की पहली बुलेट ट्रेन को 1% से कम ब्याज दर पर वित्तपोषित करने का प्रस्ताव दिया था, इसकी अनुमानित लागत 15 बिलियन डॉलर है।
- टोक्यो को, मुम्बई को अहमदाबाद से जोड़ने वाले 505 किलोमीटर लम्बे गलियारे के निर्माण का आकलन करने हेतु चुना गया था।
- जापान द्वारा भारत में परियोजनाओं का वित्तपोषण करने का निर्णय पिछले कई वर्षों से दक्षिण एशिया में अवसंरचनात्मक विकास में चीन की बढ़ती उपस्थिति के प्रति इसकी विस्तृत प्रतिक्रिया का अंश है।

अगस्त 2000 में 21 वीं सदी के लिए भारत-जापान वैश्विक साझेदारी की स्थापना के बाद और सितम्बर 2014 में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान 'विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी' के रूप में इसकी प्रस्थिति के संवर्धन के बाद जापान के साथ भारत के संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

चीन में सैन्य सुधार

चीन ने अपनी सेना को अधिक फुर्तीला और युद्ध हेतु तैयार करने तथा अपने शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध को अपनी सीमाओं तथा समुद्रतटों से दूर ले जाने में सक्षम बनाने हेतु कई आमूल चूल परिवर्तनों की घोषणा की है। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी.एल.ए.) में 23 लाख के सैन्य बल की भारी-भरकम संख्या में से 300,000 कार्मिकों की कटौती की घोषणा की है।

- राष्ट्रपति सी जिनपिंग के अनुसार, यह पुनर्संरचना 2020 तक एक सशक्त युद्धक बल निर्मित करने हेतु सभी सशस्त्र बलों के संयुक्त रूप से संचालित सैन्य कमान में सम्मिलित होने की साक्षी बनेगी।

- चीन अपनी तेजी से आधुनिकीकृत होती पी.एल.ए. को रूपांतरित करना चाहता है। इसकी वर्तमान कार्यप्रणाली सोवियत संघीय शैली की है। चीन इसे एकीकृत अमेरिकी बलों के समान अपनी शक्ति को सभी जगह प्रयुक्त करने में सक्षम बनाना चाहता है।
- इसमें चीन की बीजिंग, नानजिंग, चेंग्दू, जिनान, शेनयान और गुआंगज़ौ की वर्तमान सात सैन्य क्षेत्र कमानों को चार सामरिक जोनों में पुन: व्यवस्थित करना भी सम्मिलित होगा।
- इन सुधारों में पी.एल.ए की तुलना में सेन्ट्रल मिलिट्री कमीशन (सी.एम.सी.) कमान संरचना को रूपांतरित करना सम्मिलित है।
- चीन ने आधिकारिक रूप से यह भी स्वीकार किया है कि अदन की खाड़ी में संचालित अपने समुद्री डकैती रोकथाम (एंटी-पायरेसी) गश्ती दल के लिए समुद्र-पार सैन्य संचालन सुविधा (विदेशी लॉजिस्टिक सुविधा) हेतु जिबूती के साथ इसकी वार्ता जारी है। इनके संबंध में अनेक देशों को भय है कि आने वाले वर्षों में ये हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन के प्रथम सैन्य आधार के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं।

सुधारों की आवश्यकता के कारण:

- चीन, अन्य एशियाई देशों के साथ अनेक क्षेत्र विवादों में संलग्न है। इसका अर्थ है कि कम से कम यह संभव है कि चीन की सेना को किसी दिन एक साथ दो दुश्मनों का सामना करना पड़ सकता है। संभावित रूप से ऐसा पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में हो सकता है। लेकिन चीन की नौसेना अभी एक साथ दो युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है।
- भ्रष्टाचार अभी भी एक समस्या बना हुआ है। इन सुधारों की घोषणा से पहले पी.एल.ए. का अनुशासन आयोग अपेक्षाकृत कमजोर था। यह अपने सदस्यों को ही न्याय के अधीन लाने में सक्षम नहीं था। अब आयोग प्रत्यक्ष रूप से किसी को प्रतिवेदन देता है, जिसे देश भर में पार्टी की भ्रष्टाचार से संघर्ष करने की क्षमता को अत्यधिक बढ़ाना चाहिए।

भारत के लिए निहितार्थ:

- भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों की सैन्य कमानों के एकीकरण के साथ चीनी बल वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर बेहतर निरीक्षण और नियंत्रण करने में सक्षम होंगे। इससे यह इंगित होता है कि चीन भारत के प्रति निरंतर दवाब बनाकर और भारत के प्रति आक्रामक रूख अपनाये रखेगा।

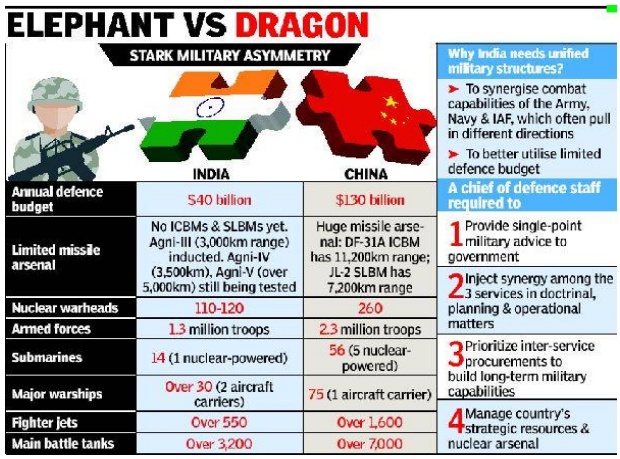

- भारत को चीन में जारी सैन्य सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे निश्चित रूप से पी.एल.ए. की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी करेंगे, विशेष रूप से नौसेना की क्षमताएँ बढ़ेंगी, जिसे अब 'खुले समुद्रों का संरक्षण' करने की विस्तृत भूमिका प्रदान की गयी है।
- इसे यह मानना चाहिए कि विवादास्पद दक्षिणी चीन सागर में तनावों में निश्चित रूप से बढ़ोत्तरी होगी। इसके एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रति नकारात्मक निहितार्थ हो सकते हैं।
- जिबूती में उपस्थिति प्राप्त करने का चीन का कदम हिन्द महासागर क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका को खतरा उत्पन्न करता है। अन्डमान और निकोबार कमान (ए.एन.सी.) से आई.ओ.आर. में चीन के नौसैनिक आक्रमणों को प्रति-संतुलित करने की अपेक्षा थी, परन्तु तीनों सेनाओं के बीच अधिकार क्षेत्र हेतु युद्धों के कारण यह काफी सीमा तक मजबूत रणक्षेत्र नियंत्रण करने के अपने प्रारंभिक वादे को पूरा करने में असफल रहा है।

- भारत वस्तुत: अब तक थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के बीच अति-वांछित सहयोग/अंतर्संबंध पैदा करने एवं अपने टीथ-टु टेल युद्ध अनुपात (स्वयं की हानि कम करने संबंधी अनुपात को कम करने) तथा समग्र रूप से मूल्य प्रभावी पद्धति का उपयोग कर सैन्य क्षमताओं को व्यवस्थित रूप से निर्मित करने हेतु अल्प संसाधनों के बेहतर उपयोग में सक्षम नहीं हो पाया है।

भारत, चीन आतंकी गतिविधियों के संबंध में सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे

- द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने के लिए चीन और भारत समर्पित संचार प्रणाली के माध्यम से आतंकी समूहों और उनकी गतिविधियों के संबंध में सक्रिय रूप से खुफिया सूचनाओं का विनिमय करने के लिए सहमत हो गए हैं।
- भारत और चीन दोनों आतंकवाद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं । भारत जम्मू-कश्मीर में और चीन जिनजिह्यांग में उईघुर आतंकियों का सामना कर रहा है।
- इससे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न उग्रवादी समूहों को नष्ट करने में सहयोग प्राप्त होगा।
- चीनी प्राधिकारियों के साथ वार्ता में वैश्विक आतंकवाद से अत्यधिक संबंध रखने वाले दो देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर चर्चाएँ भी सम्मिलित रहीं।

ए.पी.ए.सी. शिखर सम्मेलन, 2015

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (ए.पी.ए.सी.) शिखर सम्मेलन के आर्थिक नेताओं का सम्मेलन, 2015 मनीला, फिलिप्पीन्स में 18 से 19 नवम्बर के बीच सम्पन्न हुआ। यह शिखर सम्मेलन 21 देशों के प्रतिनिधि नेताओं द्वारा छ: महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं की रूपरेखा निर्मित करने वाली घोषणा के साथ सम्पन्न हुआ:

भारत की सदस्यता का मुद्दा:

पृष्ठभूमि:

- भारत ने रणनीतिक, राजनयिक और आर्थिक कारणों से लम्बे समय से ए.पी.ई.सी. फोरम की सदस्यता की मांग की है।
- भारत की भौगोलिक सीमा प्रशांत क्षेत्र में नहीं है, यही कारण है कि यह समूह नई दिल्ली की भागीदारी को संगठन के भौगोलिक सीमा वाले मानदंड के विपरीत मानता है।
- भौगोलिक तर्क के अतिरिक्त, ए.पी.ए.सी. की सदस्यता के स्थगन के कारण भारत की सदस्यता का प्रश्न कुछ समय तक गंभीरतापूर्वक नहीं उभरा था। यह स्थगन 1997 में दस वर्ष के लिए लागू हुआ था और इसे 2007 में पुन: तीन अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था।
- 2010 के बाद कोई स्थगन लागू न रहने पर कुछ ए.पी.ई.सी. सदस्यों ने चिंताएँ व्यक्त की कि भारत के प्रभाव को देखते हुए भारत को सम्मिलित करने से इस समूह का प्रशान्त तटवर्ती देशों पर केन्द्रित सन्तुलन बिगड़ (विचलित) सकता है।
- संतुलन के मुद्दे से अधिक इस समूह में भारत के अधिग्रहण के विरोधियों द्वारा व्यापार समझौता वार्ताओं में भारत द्वारा अत्यधिक सौदेबाजी करने की प्रवृत्ति उद्धरण दिया जाता है (उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के दोहा दौर में)।

2015 शिखर सम्मेलन के घटनाक्रम:

- पूर्व आस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री केविन रुड द्वारा नेतृत्व किए जाने वाले नीतिगत कार्य बल और एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टीट्यूट (ए.एस.पी.आई.) ने अनुशंसा की, कि ए.पी.ई.सी. को सदस्यता के विषय में भारत के निवेदन पर विचार करना चाहिए।
- हालांकि, भारत की सदस्यता का मुद्दा 2015 के शिखर सम्मेलन के एजेंडे (कार्यसूची) में नहीं रखा गया।

ए.पी.ई.सी. को भारत की आवश्यकता क्यों है:

- भारत इस क्षेत्र की सबसे बड़ी और अब तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। 60 प्रतिशत वैश्विक जी.डी.पी. के लिए उत्तरदायी ए.पी.ई.सी. अर्थव्यवस्थाएँ सुस्त विकास का अनुभव कर रही हैं और उन्हें नए बाजारों का विकास करने के लिए अनिवार्य रूप से अवसरों की खोज करनी चाहिए।
- अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत 2030 तक विश्व की सर्वाधिक विशाल अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसे अगले दशक के दौरान अवसंरचना हेतु 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक निवेश करने की आवश्यकता होगी।
- ट्रांसपैसिफिक साझेदारी (टी.पी.पी.) के साथ व्यापार समझौते वास्तविकता में परिणत होने के साथ ही ए.पी.ई.सी. को स्वयं को सुधारने की आवश्यकता है।
- श्रम शक्ति आपूर्ति में भारत की क्षमता 2030 तक विश्व में सर्वाधिक होगी। यह ए.पी.ई.सी. अर्थव्यवस्थाओं में वृद्ध होती जनसंख्या और घटते कार्यबलों के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में सहयोग करेगी।
- पिछले 15 वर्षों में ए.पी.ई.सी. अर्थव्यवस्थाओं के साथ तेजी से बढ़ा भारत का व्यापार ए.पी.ई.सी. में इसकी भागीदारी के बाद और अधिक बढ़ेगा।
- अत्यधिक सुस्त क्षेत्रीय और वैश्विक विकास को बढ़ावा देने हेतु भारत के आर्थिक भविष्य के लिए दूरदृष्टिपूर्ण प्रतिबद्धता ही आवश्यक पहल हो सकती है।

भारत हेतु लाभ:

- ए.पी.ई.सी. में भारत का सम्मिलित होना इसकी 'एक्ट ईस्ट नीति' को प्रोत्साहित करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को एशिया-प्रशांत आर्थिक व्यवस्था से और अधिक जोड़ेगा।

- ए.पी.ई.सी. अधिक से अधिक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण सुसाध्य करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त यह सदस्य राष्ट्रों में व्यवसाय आरम्भ करने, ऋण प्राप्त करने, अनुमतियाँ प्राप्त करने, अनुबंधों को लागू करने तथा सीमापार व्यापार करने में आने वाले अवरोधों को हटाकर छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है।
- ए.पी.ई.सी. में भारत का सम्मिलित होना देश में आर्थिक सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

भारत सार्क संबंध

सार्क सदस्य देशों के लिए करेंसी विनिमय व्यवस्था हेतु ढांचा:

- प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संघीय कैबिनेट ने 'सार्क सदस्य देशों हेतु करेंसी विनिमय व्यवस्था' में संशोधनों के साथ दो वर्ष हेतु 14 नवम्बर, 2017 तक विस्तार प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी है।

पृष्ठभूमि:

- इस ढांचे को लघु अवधि विदेशी विनिमय आवश्यकताओं हेतु निवेश प्रणाली प्रदान करने अथवा दीर्घावधिक व्यवस्था निर्मित होने या लघु अवधि में ही इस मुद्दे का समाधान होने तक भुगतान संतुलन के संकटों को पूरा करने के प्रयोजन से तैयार किया गया था।
- इस सुविधा के अंतर्गत आर.बी.आई. प्रत्येक सार्क सदस्य देश (अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) को उनके दो महीनों की आयात आवश्यकता के आधार पर विभिन्न आकार के स्वैप प्रदान करता है। किन्तु यह स्वैप अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपए में कुल दो बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो सकता।
- प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा अमरीकी डालर/यूरो/भारतीय रुपए की राशि पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यद्यपि प्रदानकर्ता पक्ष को तत्संबंधी विनिमय हेतु दी गई घरेलू मुद्रा पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।
- सार्क देशों के बीच भारत की प्रतिष्ठा और साख का सुधार करने के अतिरिक्त यह व्यवस्था इस क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता को प्रोत्साहित करेगी।

भारत-मलेशिया संबंध

प्रधानमंत्रियों की हाल ही की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया ने 2015-2020 के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के विषय में एक समझौते तथा परियोजना वितरण तथा निरीक्षण व सहयोग एवं साइबर सुरक्षा पर दो समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए।

पृष्ठभूमि:

- भारत की संसद ने अक्टूबर 2011 से भारत-मलेशिया संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है।
- दोनों देशों के बीच वाणिज्य, दोहरे कराधान के परिहार, सीमा शुल्क मामलों, उच्च शिक्षा, प्रत्यर्पण, पर्यटन, परंपरागत चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं, सांस्कृतिक विनिमय, शासन इत्यादि कई क्षेत्रों में कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत-मलेशिया रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों में निरंतर विकसित हुए हैं। दोनों देश नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं जिसे हरिमाउ शक्ति कहा जाता है।
- आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध द्विपक्षीय संबंधों का मुख्य आधार हैं। मलेशिया आसियान के अंतर्गत भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत चीन को छोड़कर दक्षिण के देशों के बीच मलेशिया के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है।
- भारत मलेशिया में आने वाले पर्यटकों की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा स्रोत देश है, दूसरी ओर भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से मलेशिया दसवाँ सबसे बड़ा स्रोत देश है।
- मलेशिया में 130,000 से अधिक भारतीय विशेषज्ञ व्यावसायिक श्रेणी तथा साथ ही कुशल और अर्ध-कुशल श्रेणी में कार्यरत हैं।
- मलेशिया में भारतीय मूल के व्यक्तियों के सबसे बड़े समुदायों से एक है, जिसकी संख्या 2 मिलियन के करीब (मलेशिया की जनसंख्या का लगभग 7 से 8%) है।
- मलेशिया प्रवासी भारतीय दिवस पर प्रासंगिक व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या भेजता रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी जी की यू.के. यात्रा

12 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी यू.के. पहुंचे जहां विभिन्न समझौतों पर भारत और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ब्रितानी और भारतीय कंपनियां 9 बिलियन पाउंड (13 बिलियन डॉलर) के सौदों पर सहमत हुईं। नरेंद्र मोदी लगभग पिछले एक दशक में ब्रिटेन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

- दोनों नेताओं ने अपने दोनों देशों और विश्व की बेहतरी के लिए उन्नत और परिवर्तनकारी साझेदारी का निर्माण करने हेतु एक साथ काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- यात्रा के दौरान ब्रिटेन और भारत के बीच 9.2 बिलियन पाउंड के वाणिज्यिक सौदों की घोषणा की गयी और उन्हें चयक में सूचीबद्ध किया।
- ब्रिटेन पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए 8.56% के लिए है जिम्मेदार है। भारतीय कंपनियों ब्रिटेन में 110,000 लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं।
- दोनों देशों ने तकनीकी सहायता, विशेषज्ञता साझाकरण और व्यापार

संलग्नता के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी शहरी विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए इंदौर, पुणे और अमरावती के साथ तीन यू.के.-भारत शहर साझेदारियों की घोषणा की।

- दोनों देशों ने स्वस्थ नदी प्रणालियों के लिए एक नयी टेम्स/गंगा साझेदारी का शुभारंभ किया है। इस साझेदारी में गंगा बेसिन में जल संसाधनों के निरंतर प्रबंधन को सक्षम करने के लिए अनुसंधान और नवोन्मेष का एक सहयोगी कार्यक्रम तथा 2016 में ब्रिटेन जल साझेदारी द्वारा समर्थित नीति विशेषज्ञ विनिमय सम्मिलित होगा।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग और ब्रिटेन की अनुसंधान परिषदों के बीच भारत-यूके संयुक्त टीका विकास सहयोग कार्यक्रम स्थापना की घोषणा।

वैश्विक सौर गठबंधन

- भारत ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्षरत है और कोयला जैसे परम्परागत स्रोत देश की बढ़ती मांग की पूर्ति नहीं कर सकते। परिणामस्वरूप, अब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर रुचि परिवर्तन हो रहा है।
- इसलिए इस दिशा में भारत के प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के साथ पेरिस सी.ओ.पी.21 जलवायु शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारम्भ किया है।
- इस महत्वपूर्ण जलवायु वार्ता से पहले, प्रधानमंत्री ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।
- इस नवीन निकाय ने विश्व के सभी देशों को भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया है। यह भारत स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, गुड़गांव से संचालित होगा। यह केन्द्र इस गठबंधन के सचिवालय की स्थापना के लिए भूमि और 30 मिलियन डॉलर प्रदान करेगा तथा पांच वर्ष तक इसका समर्थन भी करेगा।

जी-20 शिखर वार्ता 2015

जी-20 शिखर सम्मेलन के संबंध में :

- जी-20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ के प्रमुखों का फोरम है।
- अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, यू.के., यू.एस.ए. और यूरोपीय संघ जी20 के सदस्य हैं।
- जी-20 शिखर सम्मेलन 2015: जी20 के नेताओं ने एंटाल्या, तुर्की में 15-20 नवम्बर 2015 को मुलाकात की।

जी-20 में भारत की भूमिका:

- भारत शेष विश्व से अत्यधिक एकीकृत रहा है और वैश्विक आर्थिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है।
- भारत ने वैश्विक वित्तीय सस्थानों का सुधार कर, वैश्विक समष्टि अर्थशास्त्रीय असंतुलनों एवं, संरक्षणवादी उपायों को रोककर, विकास मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए जी20 के एजेंडे को विस्तृत करने इत्यादि के माध्यम से वैश्विक शासन को पुनर्संतुलित करने हेतु चिंताएँ अभिव्यक्त की हैं।
- विभिन्न अधिकारियों ने जी20 कार्य समूह की बैठकों में भाग लिया और उन मुद्दों पर भारत की चिंताओं को अभिव्यक्त किया।

भारत की चिंताएँ:

- भारत की मुख्य चिंताएँ अत्यधिक आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास इत्यादि हैं।
- उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अधिक प्रतिनिधित्व तथा मतदान शक्ति प्रदान करने साथ ही साथ विदेश से धन अंतरण करने पर विनिमय लागतों को कम करने के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य हेतु विचाराधीन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फण्ड (आई.एम.एफ.) के कोटा आधारित सुधारों के कार्यान्वयन में विलम्ब।
- 16 नवम्बर को जी20 नेताओं ने आई.एम.एफ. के कोटा आधारित सुधारों के मुद्दे पर भारत को समर्थन प्रदान किया और शीघ्रातिशीघ्र सुधारों हेतु आह्वान किया तथा विलम्ब के संबंध में निराशा व्यक्त की।

पेरिस पर हमला

13 नवम्बर, 2015 को पेरिस में समन्वित आतंकवादी हमलों की एक श्रृंखला घटित हुई। इस हमले में लगभग 130 लोग मारे गए। आई.एस. ने इस हमले की जिम्मेदारी का दावा किया।

- पेरिस चरमपंथियों के लिए एक आसान लक्ष्य रहा है। जनवरी 2015 में चार्ली हब्दो प्रकाशन के कार्यालयों में जिहादी बंदूकधारियों द्वारा पत्रकारों की हत्या का उद्देश्य प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन ही थे। बंदूकधारियों की उत्प्रेरणा हालांकि विकृत होते हुए भी लगभग स्पष्ट प्रकट हुई।
- इस तरह के आतंकी हमले यूरोप में अभी तक सर्वाधिक विनाशक एवं भिन्न प्रकार के थे।
- करो और मरो षडयंत्र फ्रांस के बाहर बनाया गया था, इसमें बड़ी योजना और परिष्कृत संसाधनों का प्रयोग हुआ था (जैसे कि आतंकवादियों द्वारा प्रयोग की गईं आत्मघाती जैकेटें) और इसमें फ्रांस से इतर देशों के हत्यारे भी संलग्न थे।
- लक्ष्य बनाए गए स्थान- स्टेड डी फ्रांस जहाँ एक फुटबॉल मैच चल रहा था, मध्य पेरिस में कुछ लोकप्रिय बार और प्रसिद्ध बटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल, ये सभी फ्रांसीसी जीवन शैली में अभिन्न रूप से घुली मिली संस्कृति और मनोरंजन के स्थान माने जाते थे।

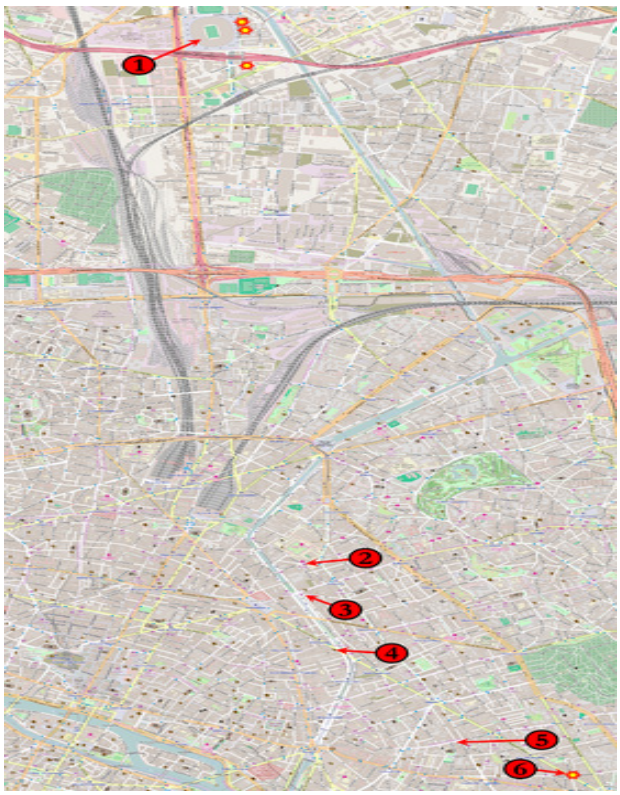

- पेरिस में हुए हमलों की 26/11 के हमलों से तुलना: पेरिस में हुए हमले और इससे पहले मुम्बई (26/11) में हुए हमले यह प्रदर्शित करते हैं कि लक्ष्यों का चुनाव करने में आतंकवादी महत्वपूर्ण आधारिक संरचना पर ध्यान केन्द्रित नहीं कर रहे हैं। इसके स्थान पर वे ऐसे स्थानों को लक्ष्य बना रहे हैं जहाँ वे मानव जीवन को सर्वाधिक क्षति पहुँचा सकते हैं और साथ ही साथ व्यापक ख्याति प्राप्त कर सकते हैं।

(विस्तृत तुलना के लिए, इस मुद्दे का सुरक्षा संभाग देखिए।)

- सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार, पेरिस हमले को अधिक संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ी और उन्हें भविष्य में ऐसे और अधिक हमले होने का भय है।
- पेरिस हमले के कारण, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों के बीच एकजुटता प्रदर्शित हुई क्योंकि उन्होंने सर्वसम्मति से आई.एस. आई.एस. के विरुद्ध संघर्ष करने का समर्थन किया।

आई.एस.आई.एस. के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर के अंतर्गत विश्व भर के देशों को इस्लामी राज्य से संघर्ष करने हेतु ' 'सभी आवश्यक उपाय'' करने हेतु अधिकृत किया। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ।

- इसमें सैन्य कार्रवाई हेतु प्राधिकार प्रदान किया जाना सम्मिलित नहीं है।
- फ्रांस द्वारा पुर:स्थापित, सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव पेरिस हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने का प्रयास था।

क्या भारत को आई.एस.आई.एस. के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित होना चाहिए?

पक्ष में तर्क:

- भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) और भारतीय थल सेना कई दशकों से कश्मीर और पूर्वी भारत में उग्रवादियों से लड़ रही हैं। भारत ने पंजाब में अलगाववाद को भी समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आतंकवाद विरोधी अनुभव आई.एस.आई.एस. के विरुद्ध युद्ध में बहुत मूल्यवान साबित हो सकते हैं।
- भारत के सशस्त्र बल विदेशी भूमि पर युद्ध करने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे।
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्षेत्र के बाहर कभी-कभी ही हस्तक्षेप किया है। भारत को तार्किक रूप से एक मजबूत महाशक्ति नहीं माना जाता है क्योंकि यह वैश्विक मुद्दों में बहुत कम ही जोखिम उठाता है। आई.एस.आई.एस. के विरुद्ध युद्ध में इसका प्रवेश इसकी छवि को वैश्विक बल के रूप में आगे बढ़ाएगा।

विपक्ष में तर्क:

- ईराक और सीरिया में विदेशी मिशन भारतीय राजकोष पर अधिक भार बढ़ायेगा। एक ऐसे समय जब भारत की वित्तीय स्थिति सकारात्मक नही हैं, आई.एस.आई.एस. के विरुद्ध युद्ध में संलग्न होना एक वित्तीय भूल होगी।
- ईराक और सीरिया में सैन्यदल भेजने से अल्पसंख्यकों में असंतोष उत्पन्न हो सकता है और यह भारत में जिहाद की संभावना को भी बढ़ा सकता है।

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
General Studies
Philosophy
Sociology
Public Administration
Geography
Essay
Psychology
All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
By renowned faculty and senior bureaucrats
25 Classes
Regular Batch
Starts : 15th Sep

PHILOSOPHY
Foundation/Advance Course @ JAIPUR Center
Includes comprehensive & updated study material
Classes on Philosophy by Anoop Kumar Singh:
Starts : 7th Sep

अर्थव्यवस्था

सातवाँ वेतन आयोग

- सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की।
- स्वीकृत होने के बाद आयोग की सिफारिशों से 47 लाख कार्यरत सरकारी कर्मचारी, 52 लाख पेंशनभोगियों सहित सुरक्षाकर्मी भी लाभान्वित होंगे।

वेतन आयोग क्या है?

- वेतन आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा नियमित अंतरालों पर किया जाता रहा है। यह भारत सरकार के सिविल एवं सैन्य विभागों के वेतन-प्रारूप में बदलाव के मद्देनजर अपनी सिफारिशें देता है।
- पहले वेतन आयोग की स्थापना 1956 में हुई थी, तब से, हर दशक में आयोग का गठन हुआ है।

7वें वेतन आयोग के मुख्यबिंदु

- वेतन एवं भत्तों में 23.55 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की सिफारिश।
- सिफारिशों का क्रियान्वन 1 जनवरी 2016 से
- रु. 18000 प्रतिमाह न्यूनतम व रु. 2.25 लाख अधिकतम वेतन
- वार्षिक वेतन-वृद्धि दर 3 प्रतिशत पर कायम
- पेंशन में 24 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी
- सेना में OROP की तर्ज़ पर अन्य सरकारी कर्मियों के लिए भी वन रैंक वन पेंशन की सिफारिश।
- आनुतोषिक (gratuity) की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपये; जबभी DA में 50% की बढ़ोत्तरी होगी आनुतोषिक की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ायी जायेगी।
- कैबिनेट सचिव का वेतन वर्तमान रु 90,0000 प्रतिमाह की वेतनमान से बढ़ाकर रु. 2.25 लाख प्रतिमाह
- सेवा वेतन(MSP) जो सैन्य सेवाओं के विभिन्न पहलुओं की एवज में मिलता है, सिर्फ रक्षा सेना कर्मियों को मिलेगा
- सशस्त्र बल में शार्ट सर्विस कमीशन से चयनित अधिकारी 7-10 वर्ष के सेवाकाल के दौरान वे कभी भी स्वेच्छा से बाहर निकल सकते हैं
- 52 भत्तों को ख़त्म करने की आयोग की शिफारिश; अन्य 36 भत्ते मौजूदा भत्तों में या नए प्रस्तावित भत्तों में शामिल

वित्तीय निहितार्थ

- तनख्वाहों पर वेतन आयोग की शिफारिशों को लागू करने की वित्तीय लागत रु 1.02 लाख करोड़ होगी। इसमें रु 73,650 करोड़ केन्द्रीय बजट से व रु 28,450 करोड़ रेलवे बजट से होंगे।
- आयोग की सिफारिशों पर वेतन और मजदूरी पर खर्च का अनुपात बढाने पर जीडीपी पर कुल असर 0.65% से बढ़ाकर 0.7% तक होगा।
- इसके अलावा, वन रैंक वन पेंशन की अदायगी भी इसमें जुड़ेगी।

अवसर

- राजस्व मुनाफा अधिक होगा।
- वेतन देने में हुए व्यय का पांचवा हिस्सा आयकर से ही वापस आने की उम्मीद है।
- उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की वस्तुओं, आवास, वित्त उत्पादों, रोजाना की जरूरतों और यात्राओं पर ज्यादा खर्च करने से अप्रत्यक्ष-कर वसूली भी बढ़ेगी।
- कारपोरेट मुनाफा में वृद्धि से कारपोरेट टैक्स वसूली में वृद्धि।
- यह अर्थव्यवस्था, खासकर निर्माण और सेवा उद्योग को प्रोत्साहित करेगी।
- इससे अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा मुख्यत: विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में।

अन्य परिणाम

- पर इन अवसरों के बावजूद, चूँकि स्थानीय और राज्यों के स्तर पर होने वाली वेतनवृद्धि संशोधनों के चलते अर्थव्यवस्था पर धन का दबाव बढेगा जिससे मुद्रास्फीति का खतरा मौजूद रहता है। यद्यपि 7वें वेतन आयोग को 6वें वेतन की आयोग की तरह मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले प्रेरक के रूप में नहीं देखा जा रहा है।
- साथ ही, यह आरबीआई की कीमतें तय करने की गति को धीमा कर देगा
- क्रेडिट-रेटिंग मूल्यांकन कंपनी फिच के अनुसार सरकार राजस्व सुदृढीकरण रोडमैप से पीछे रह सकती है और इसे जीडीपी का 3% रखने के लक्ष्य में देरी होगी जिसके देश के प्रति भरोसा में विपरीत परिणाम हो सकते है।

आगे का रास्ता

फिर भी, निचली मुद्रास्फीति, वस्तुओं के निचले दाम, उद्योग में अधिक क्षमता, औसत मुद्रास्फीति इत्यादि अवसरों का आकस्मिक संयोग; सातवें वेतन आयोग को लागू करने का स्वस्थ आर्थिक वातावरण बनाते हैं।

SDR में युआन

- आईएमऍफ़ ने 1 अक्टूबर 2016 से चीनी मुद्रा (RMB) को विशेष आहरण अधिकार (SDR) वाली मुद्राओं में शामिल करने का निर्णय लिया है
- SDR में होने के लिए किसी मुद्रा को 'स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग की जाने लायक' 'व्यापक रूप से प्रयुक्त' और 'व्यापक रूप से लेन-देन' में शामिल होना पड़ता है
- इस खाते में मौजूदा मुद्राएँ – अमेरिकी डालर, यूरो, जापानी येन,

आयर ब्रिटिश पौंड हैं।

SDRs क्या हैं?

- आइ.एम.एफ. द्वारा 1969 में अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व परिसंपत्ति के रूप में निर्मित एक कृत्रिम मुद्रा (पर न ही मुद्रा न आइ.एम.एफ. पर कोई दावा)
- अंतर्राष्ट्रीय खातों के संतुलन हेतु एकमात्र माध्यम के रूप में सोने और डालर की सीमा की चिंताओं के प्रतिकार स्वरुप बनाई गयी है।
- यह सदस्य-देशों की मौजूदा आरक्षित निधि के बतौर एक पूरक की तरह काम करती है और अंतर्राष्ट्रीय चल-निधि को बढ़ावा देती है
- SDR स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाई जाने वाली मुद्राओं से बदली जा सकती हैं
- नवम्बर 2015 तक 204 बिलियन SDRs बनाई गई और सदस्य-देशों को आवंटित की जा चुकी हैं (लगभग 285 बिलियन डालर के बराबर)।

इस समावेश का क्या अर्थ है?

अल्पकाल में इस समावेश का बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा किन्तु इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं:

- RMB का समावेश SDR समूह की विभिन्नता को बढ़ाकर और इसे विश्व की प्रमुख मुद्राओं का प्रतिनिधि बनाकर और आकर्षक बनाएगा
- चीन के वैश्विक वित्तीय एकीकरण की प्रक्रिया में यह एक प्रमुख मील का पत्थर है
- चीन में जारी सुधारों को चिन्हित करता है व बढ़ावा देता है
- हाल के वर्षों में चीनी RMB के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हुई महत्वपूर्ण बढ़त को चिन्हित करता है तथा एक खुली व बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था में चीन की रूपांतरण को सहारा देता है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर RMB के पहले से बढ़ रहे इस्तेमाल व व्यापार को और मदद करेगा।

मेगा फ़ूड पार्क

चर्चा में क्यों?

हाल में तेलंगाना में पहले मेगा फ़ूड पार्क की नींव डाली गयी।

पार्क के विवरण

- 78 एकड़ में रु 109 करोड़ की योजना-लागत से इसका निर्माण
- यह मजबूत प्रणाली से जुड़ा होगा और मेदचल, मेडक और नालगोंडा में तीन प्राथमिक प्रकमण-केंद्र स्थापित किये जायेंगे
- इसमें विभिन्न तरह के वस्तुओं/सामग्रियों के लिए शीतघर, कच्चा-माल मालगोदाम, तैयार-माल मालगोदाम, अनाज-बुखारी, हिमीकरण, हल्दी प्रसंस्करण की सुविधा और आधुनिक खाद्य-परीक्षण प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं होंगी।
- अंदाजन यह करीब 6000 लोगों को प्रयत्क्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और अपनी पहुँच-क्षेत्र में करीब 30,000 किसानों को लाभान्वित करेगा।

मेगा फ़ूड पार्क है क्या?

मेगा फ़ूड पार्क, संग्रहण केन्द्रों (CCs) और प्राथमिक प्रोसेसिंग केन्द्रों (PPCs) से बना हुआ एक केन्द्रोंमुख ढांचा होता है

संग्रहण केंद्र (CCs): ये विभिन्न किसान समूहों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के एकत्रीकरण के बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

प्राथमिक प्रोसेसिंग केंद्र (PPCs): ये कच्चे मालों को प्रबंधित कर CPC में आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजने का कार्य करते हैं। एक PPC नजदीक के कई सारे संग्रहण केन्द्रों को सेवाएँ देता है। कुछ PPCs में गूदे व रस निकालने की आतंरिक सुविधाएं होती हैं। मालों को न्यूनतम समय में CPC पहुँचाने के लिए उनके पास रेफ्रिजरेटर वैन, ट्रक इत्यादि की सुविधाएं होती हैं।

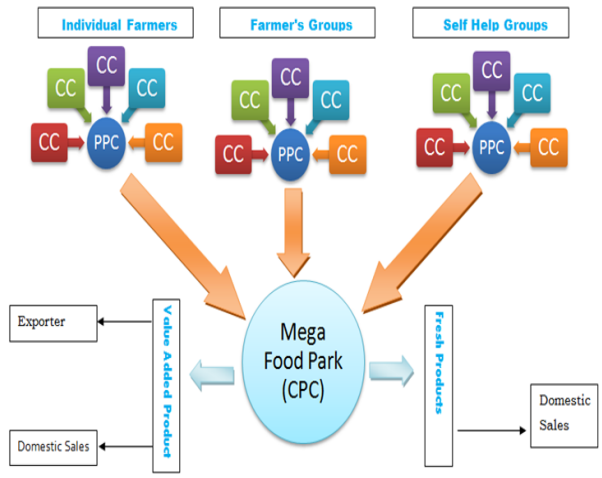

मेगा फ़ूड पार्क का महत्व

- खाद्य प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक ढांचे से लैस एक समूह आधारित और मजबूती से चौतरफा जुड़ी हुई श्रृंखला के निर्माण को सुगम बनाकर खाद्य प्रोसेसिंग सेक्टर को तेज अग्रगति।
- किसानों, प्रोसेसर्स और खुदरा वितरकों को एक साथ लाकर कृषि-उत्पाद को बाज़ार से जोड़ने का तंत्र
- यह मूल्य बढ़ाने वाला, नुकसान घटाने, किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करता है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करता है।

मेगा फ़ूड पार्क योजना की दिक्कतें

- भूमि अधिग्रहण – 50 एकड़ जमीन का मिलना मुश्किल होता है, खासकर छोटे व पहाड़ी राज्यों में
- चूँकि देश में ज्यादातर कृषि-व्यापार कोपरेटिव्स के द्वारा होता है,

फ़ूड पार्क में उनका समायोजन नाजुक होगा।

- यद्यपि यह योजना SPV को अनुदान देती है, पर SPV संग्रहण केन्द्रों व PPCs को आकर्षित करने में अक्षम साबित होती है। यहाँ पर खाद्य प्रोसेसिंग का राष्ट्रीय मिशन, MFPs के तहत इकाइयों को रु 50 लाख अनुदान देकर प्रमुख भूमिका निभा सकता है। किन्तु अब इस योजना से केंद्र का सहयोग हट चुका है और इसे जारी रखने का निर्णय राज्यों को लेना है। राज्य सरकारें मामला-दर-मामला के आधार पर इन इकाइयों पर ध्यान दे सकती हैं।
- न्यूनतम 50 एकड़ समीपस्थ भूमि और पूरी परियोजना-व्यय का 50% SPV से आने के दशा में MFP स्थापित करने के लिए MFP योजना अधिकतम रु 50 करोड़ का अनुदान देती है। यह 'सबके लिए एक बराबर' नजरिया अलग-अलग जरूरतों वाले निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं हुआ है।

प्राथमिक परीक्षा 2011

प्र.- भारत सरकार किस उद्देश्य के साथ 'मेगा फ़ूड पार्क' की अवधारणा को आगे बढ़ा रही है?

1 खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग को बेहतर ढांचा मुहैया कराने के लिए।

2 ख़राब हो जाने वाले वस्तुओं की प्रोसेसिंग बढ़ाने व नुकसान घटाने के लिए

3 उद्यमियों को खाद्य प्रोसेसिंग की नयी व पर्यावरण-अनुकूल तकनीकें प्रदान करने के लिए

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव चुनाव करें :

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 2 (c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

मुख्य-परीक्षा GS पेपर II 2007

प्र.- भारत सरकार की मेगा फ़ूड पार्क योजना की व्याख्या कीजिए।

वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तालिका

वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तालिका, गोपनीयता और समुद्रपार वित्तीय गतिविधियों की सीमा के आधार पर अधिकार-क्षेत्र का निर्धारण करती है। इस तरीके से बनायी गयी निष्पक्ष तालिका राजनीतिक रूप से वैश्विक वित्तीय गोपनीयता, टैक्समुक्त क्षेत्र या गोपनीयता अधिकारक्षेत्र और गैरकानूनी वित्तीय-प्रवाह या पूंजी-पलायन को समझने का एक औजार है। यह कर न्याय नेटवर्क द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

इस तालिका का महत्व क्या है?

समुद्रपार गोपनीयता और इसे बनाने वाली वैश्विक संरचना का सीधा सामना करते हुए FSI सटीकतम सीमा तक उस अधिकारक्षेत्र की पहचान करती है जो समुद्रपार गोपनीयता को इसका कार्य-व्यापार बनाती है।

वित्तीय गोपनीयता तालिका (FSI) 2015 के मुख्य बिंदु:

- यह चीन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे पारंपरिक तौर पर कर-मुक्त क्षेत्र न माने जाने वाले कई अधिकार-क्षेत्रों सहित 93 अधिकार-क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करती है।

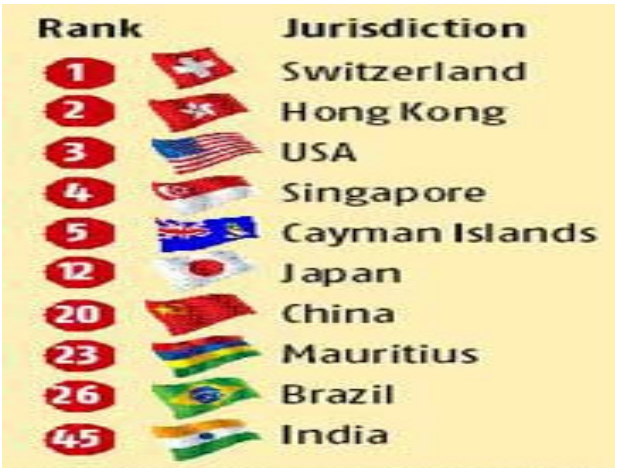

- इसने यह स्पस्ट किया कि परिसंपत्तियों की शरणस्थली की वितीय गोपनीयता देने वालों में विश्व के सबसे महत्वपूर्ण प्रदाता बहुश्रुत छोटे द्वीप नहीं बल्कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े और धनी देश हैं।
- OECD के संपन्न देश और उनके अनुचर इस गैरकानूनी प्रवाह के मुख्य प्राप्तकर्ता या वाहक हैं।
- संगठन की पूर्ववर्ती तालिका में सिंगापुर 2013 में चौथे से पांचवे स्थान पर चला गया जब हांगकांग का स्थान तीसरा हो गया।

कर-न्याय नेटवर्क क्या है?

यह अंतर्राष्ट्रीय करों के क्षेत्र और वित्तीय नियमन के अंतर्राष्ट्रीय पहलू में उच्चस्तर के शोध, विश्लेषण को समर्पित एक स्वतंत्र समिति है।

यह कर की भूमिका, टैक्सचोरी के नुकसानदेह प्रभाव, कर-परिहार, कर प्रतिस्पर्द्धा और करमुक्त-क्षेत्र को मापती है, विश्लेषण और व्याख्या करती है।

गोपनीय अधिकारक्षेत्र/ करमुक्त क्षेत्र क्या हैं?

ऐसा राज्य, देश या इलाका जहाँ कतिपय कर बहुत ही कम हैं या हैं ही नहीं और गैरकानूनी और नाजायज वित्तीय प्रवाह को आकर्षित करने के लिए वित्तीय गोपनीयता का प्रयोग।

ICEGATE

चर्चा में क्यों?

गैरकानूनी विदेशी धन की आमद और हवाला को रोकने के लिए भारत की खुफिया संस्थाएं और रिजर्व बैंक Indian Customs Electronic Commerce और Electronic Data Interchange (ICEGATE) और बैंकिंग तंत्र को एकजुट करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हैं।

ICEGATE प्रवेश-बिलों, पोत-परिवहन पत्रों, और अन्य आयात-निर्यात दस्तावेजों की सीमाशुल्कीय इलेक्ट्रानिक भण्डार है।

पृष्ठभूमि

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय ने बैंकों द्वारा गैरकानूनी विदेशी धन के सम्बन्ध में कई मुकदमें दर्ज किये, जिसमें हालिया बैंक ऑफ़ बड़ौदा व कुछ अन्य बैंक द्वारा रु 6000 करोड़ विदेश भेजने की घटना है।

इस उपाय के उद्देश्य

ICEGATE और बैंकिंग तंत्र का एकीकरण, पैसे देने से पहले बैंकों को आयातकों और निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराये गए बिलों की सत्यता का परीक्षण करने में मदद करेगा। यह एक सकारात्मक कदम है और आयत/निर्यात लेनदेनों में शामिल जोखिमों को हल करने में मदद करेगा।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा घोटाला

यह आरोप है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा से रु 6,172 करोड़ काला धन बिना किसी आयात के काजू, दलहन और चावल के भुगतान के छद्मावरण के रूप में हांगकांग को भेजे गए। आरोप है कि यह राशि 59 खातों में इन आयातों के अग्रिम नकद भुगतान के रूप में जमा किया गया। इस घोटाले में दो तरह के लेनदेन हुए थे -

पहला लेनदेन – शुल्क वापसी

शुल्क वापसी की सरकार की योजना से लाभ लेने के लिए एक कंपनी अपनी ही नकली कंपनियों को ऊँचे दामों पर माल निर्यात करती है।

शुल्क वापसी योजना क्या है?

यह निर्यात-वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाये गए कच्चे मालों पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क तथा निर्माण में प्रयुक्त सहयोगी सेवाओं पर लगे सेवा शुल्क के आधार पर सरकार द्वारा चुकाई जाने वाली क्षतिपूर्ति है। इसका मकसद निर्यात को बढ़ावा देना है।

दूसरा लेनदेन- आयातों के लिए अग्रिम भुगतान (अग्रिम विप्रेषण)

ये एक आयातक द्वारा अपने आयातों को सुनिश्चित करने के लिए की जाने वाली आंशिक अदायगी है। सामान्यतया जब अग्रिम भुगतान होने के बाद एक निर्यातक मालों की प्राप्ति के बाद या एक अंतराल के बाद, जैसा समझौता हुआ हो, बाकी बाकी राशि भेजता है। अपने स्तर पर बैंकों को आयात दस्तावेजों से पुष्टिकर यह देखना होता है कि बकाया राशि भेजी गयी या नहीं और माल पहुंचा या नहीं।

नियामक प्रभाव आकलन

चर्चा में क्यों?

बाहर से निवेश आकर्षित कर के 'MAKE IN INDIA' को सफल बनाने के लिए नियामक ढांचे में सुधार के नए प्रयास

पृष्ठभूमि

अगस्त 2012 में कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने भारत में व्यापार करने के लिए नियामक माहौल को सुधारने के के लिए कमेटी का गठन किया। नियामक प्रभाव आकलन (Regulatory Impact Assessment-RIA) के सन्दर्भ में कमेटी के विचार:

- अचिंतित नियामकों के विस्फोट ने प्रबंधन-काल और लागत को गंभीर रूप से बढ़ाकर नियामक माहौल का नकारात्मक चित्र पैदा कर दिया है।
- परिणाम प्राप्त करने में किए गए प्रयास और व्यय की गयी कीमत की अनुरूपता तय करने के लिए नियामक प्रभाव आकलन के एक सुव्यवस्थित-तंत्र की सिफारिश।
- इसने नियामकी अति-पहुँच (overreach) के विरुद्ध सचेत किया।
- प्रत्येक प्रस्तावित नियामक का प्रभाव आकलन जन-परामर्श पक्रिया से पहले होना चाहिए।

नियामक प्रभाव आकलन क्या है?

नियामक प्रभाव आकलन (RIA) फायदे, लागत और नए या बदले हुए नियामकों के प्रभाव का परीक्षण करता है। यह निर्णयकर्ताओं को उनके निर्णयों के विकल्पों और परिणामों को चुनने के लिए महत्वपूर्ण प्रायोगिक आंकड़े और विस्तृत रूपरेखा देता है।

RIA से लाभ

- सरकारी हस्तक्षेपों की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार
- प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा
- पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा
- भ्रष्टाचार के अवसरों में कमी
- नीति निगरानी और मूल्यांकन का एक औजार
- भारत जैसे अन्य देशों में नियामकों के ऊपर सालाना सरकारी खर्च GDP का 10-20%। अर्थात नियामक क्षमता में छोटे सुधार भी राष्ट्रीय आय में बड़े खर्चीले होंगे।
- नियामिकी खर्चे को घटाने के लिए RIA में हुए निवेश की वापसी का लगातार अच्छी तरह से दस्तावेजीकरण हुआ है। अमेरिकी प्रबंधन और बजट कार्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक नियामकों के अनुपालन पर खर्च हुआ प्रत्येक डालर उससे अधिक लाभ देता है।

RIA: उपभोक्ता के नजरिये से

इसके अनुपालन की कीमत अंतत: उपभोक्ताओं पर ही जाती है जिनके हितों की इन नियामकों द्वारा रक्षा की जानी है।

जूट की कीमतों में उछाल

पृष्ठभूमि

हाल में कच्चे जूट की कुछ वर्गों की कीमतें 50% तक बढ़ गयी जिसने

जूट मिलमालिकों में गंभीर चिंता पैदा कर दी।

कीमतों में उछाल के कारण

- बाढ़ के चलते बंगाल के नदिया और मुर्शिदाबाद में फसल की बर्बादी
- कच्चे जूट के निर्यात पर बांग्लादेश का प्रतिबन्ध
- व्यापारियों की जमाखोरी के चलते कृत्रिम आपूर्ति अभाव।

सरकार के कदम

भण्डार सीमा, जमाखोरी के विरुद्ध अभियान

- व्यापारियों और मिलमालिकों के लिए कच्चे जूट की भण्डार सीमा तय करने के लिए उचित उपाय
- राज्य सरकारों की सहायता के साथ जमाखोरी के विरुद्ध उपाय
- मंदी के समय के दौरान उत्पादित जूट उपलब्ध करवाना

बांग्लादेश द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबन्ध को हटवाना - वाणिज्य विभाग और विदेश मामलों के मंत्रालय कच्चे जूट के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटवाने के लिए बांग्लादेश में अपने समकक्षों के साथ मसले पर बात करें।

जूट की खेती को बढ़ावा देना – कृषि विभाग और राज्य सरकार को दीर्घकालीक उपाय करने होंगे।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) को पुनर्जीवित करने के लिए केलकर पैनल

चर्चा में क्यों: हाल में आधारभूत ढांचे के विकास के सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर दुबारा चर्चा एवं पुनर्जीवन के लिए केलकर समिति की रिपोर्ट जमा हुई। 2015-16 के बजट भाषण में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने आधारभूत ढांचे के विकास के PPP मॉडल पर दुबारा चर्चा एवं पुनर्जीवन की बात कही।

समिति की सन्दर्भ शर्तें इस प्रकार थीं :

- सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना के अनुभव की समीक्षा
- सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के जोखिमों का विश्लेषण और परियोजना विकसित करने वाले और सरकार के पास ऐसे जोखिमों को बांटने के मौजूदा दृष्टिकोण
- जोखिम बांटने के सर्वोत्तम ढंग का सुझाव
- सार्वजनिक निजी भागीदारी के संविदात्मक प्रबंध की रूपरेखा परिवर्तन का प्रस्ताव
- सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के प्रभावकारी क्रियान्वन के लिए सरकार की क्षमता-निर्माण को दुरुस्त करने के उपाय

PPP की समीक्षा की जरूरत क्यों?

विकास के विभिन्न चरणों में अपनी 900 PPP परियोजनाओं के साथ भारत विश्व के विशाल PPP बाजार के रूप में उदित हुआ है। किन्तु 12वीं योजना के पहले तीन वर्षों में आधारभूत ढांचे में निवेश में गिरावट देखी गयी है ऐसा निजी क्षेत्र से होने वाले निवेश में तीखी गिरावट के चलते रहा है। पिछले कुछ वर्षों में निवेश में आयी इस मंदी का मुख्य कारण 'परियोजनाओं का रुकना' रहा है और खासतौर से निजी क्षेत्र में यह दर काफी ऊँची रही है।

मौजूदा PPP संविदा रूपरेखा की मुख्य कमजोरियां :

1. संविदात्मक प्रबंधों की कठोरताएं।
2. मौजूदा संविदाओं का ज्यादा ध्यान सक्षम सेवा प्रबंध के बजाय राजकोषीय मुनाफे पर।
3. यह जोखिम का सर्वश्रेष्ठ उपाय करने वाली संस्था को देने के सिद्धांत को नजरअंदाज करता है।
4. फिर से तालमेल करने के लिए किसी प्रत्याशित ढांचे का अभाव और मतभेद निपटान की निष्प्रभावी प्रणाली।
5. संविदाएं बाज़ार पर ज्यादा ही निर्भर हैं।
6. छूट के समझौते की शर्तों का प्रवर्तन और निगरानी कमजोर रही है।
7. स्वतंत्र नियामक के साथ एक ज्यादा मजबूत नियामक माहौल आवश्यक है।
8. PPP के तहत बनी परियोजनाओं/अध्ययनों के बारे में PPP कार्यक्रम के पास विस्तृत आंकड़े नहीं हैं।
9. परियोजना के विकास से जुडी गतिविधियाँ जैसे विस्तृत संभाव्यता अध्ययन, भूमि-अधिग्रहण, पर्यावरण/वन अनापत्ति इत्यादि का पूरा ख्याल नहीं रखा जाता
10. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के पास बड़ी एवं जटिल परियोजनाओं का भार उठाने लायक संस्थागत क्षमता का अभाव और यह खासकर स्थानीय निकायों और राज्यों के स्तर पर प्रयोजनों को परियोजनाओं में बदलने नहीं देता।
11. कई मामलों में आक्रामक बोली (bidding) असफलता का मुख्य कारण रही है।

अनुबंधीय वित्तपोषण से जुड़े मुद्दे:

1. बड़ी संख्या में परियोजनाओं का फंसाव या देरी के चलते बैंक लोन NPAs (Non performing Assets) हो जाते हैं जिससे आगे चलकर ढांचागत परियोजनाओं को उधार देने की बैंकों की क्षमता घट जाती है।
2. फँसी और थकी हुई परियोजनाओं ने PPP परियोजनाओं में इक्विटी का संकुचन किया है।

3. ताजा इक्विटी की अन्तप्रर्वाह में गिरावट ने डेवलपर्स के अति-उत्तोलित तुलन-पत्रों (over-leveraged balance sheets) को जन्म दिया है जिसने कई घरेलू निवेशकों को अधिक निवेश करने से बाधित किया है।

4. 20-30 वर्षों के दौरान राजस्व प्रवाह पर आधारित विशाल अवसरंचानात्मक परियोजनाओं के वितपोषण कि वर्तमान प्रणाली टिकाऊ नहीं हैं क्योंकि परियोजना के कर्ज का कार्यकाल 10 से 15 वर्ष का होता है।

5. लम्बे समय तक वित्तपोषित करने वाले उपकरणों के अभाव में, आधारभूत ढांचे की बढ़ती जरूरतों को वित्तपोषित करना अधिकाधिक मुश्किल हो रहा है।

3P भारत क्या है?

- जैसा कि 2014-15 के केन्द्रीय बजट में घोषित किया गया है कि सरकार 500 करोड़ रुपये के राशि के साथ 3P-भारत (3P-India) के गठन कि प्रक्रिया में है। इसके द्वारा सरकार PPPs को मुख्यधारा में लाने में सहयोग करेगी तथा सक्षम PPPs के अंतरण को तेज करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।
- यह सुझाव आया है कि PPP संविदाओं को पुनर्संयोजित करने का कार्यभार इस बॉडी को दिया जा सकता है जिसके पास इस क्षेत्र की विशेष योग्यताएं होंगी।
- इस संस्थान में आवश्यक योग्यताओं से लैस, उद्योग, वित्तीय संस्थान, प्रदाता इत्यादि क्षेत्रों की विस्तृत पृष्ठभूमि के विशेषज्ञ होंगे।
- यह रेलवे, हवाईअड्डों और 'सामाजिक' क्षेत्रों में भी PPP मॉडल का विकास निजी निवेश को आकर्षित करने में समर्थ बनाने के लिए कर सकता है।
- यह संस्था एक निर्द्रिष्ट शुल्क के साथ परियोजना-प्रवर्तकों (नागरिक एजेंसियों) की पहचान करने, संरचना बनाने एवं हस्तगत करने में मदद कर सकती है।

मुख्य परीक्षा 2013

प्र. देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए PPP मॉडल का अनुपालन आलोचना से मुक्त नहीं रहा है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की आलोचनात्मक चर्चा करें

NMP के तहत तकनीक अधिग्रहण और विकास फंड

चर्चा में क्यों?

हाल में आद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग (Development of Industrial Policy and Promotion-DIPP) द्वारा लागू राष्ट्रीय निर्माण योजना के तहत तकनीक अधिग्रहण और विकास फंड (Technology Acquisition and Development Fund-TADF) का आरम्भ किया गया।

TADF क्या है?

सूक्ष्म, छोटे और माध्यम उपक्रमों (Micro, small and Medium Enterprises-MSMEs) द्वारा भारत या विश्व में उपलब्ध साफ़, हरित एवं ऊर्जा दक्षता तकनीकें हासिल करने के लिए यह एक नयी योजना है।

वैश्विक नवीनता और तकनीक सहयोग (Global Innovation and Technology Alliance-GITA) जैसी एक साझेदार कंपनी से MSME इकाइयों को मदद के लिए लागू की जाने वाली यह योजना इस तरह उल्लिखित है:

I. तकनीक अधिग्रहण के लिए सीधी मदद

II. पेटेंट निकाय के माध्यम से तकनीक अधिग्रहण करने में अप्रत्यक्ष मदद

III. तकनीक/उपकरण निर्माण छूटें

IV. NIMZ में स्थित उद्योगों में संसाधन संरक्षण गतिविधियों को सुगम बनाकर यह योजना हरित निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।

TADF का महत्व:

- तकनीक का विकास और उन्नयन राष्ट्रीय विनिर्माण योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत अहम है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में रहने और विनिर्माण उद्योग की निरंतर वृद्धि की गारंटी के लिए तकनीक की सीढियां चढ़ना सबसे तेज रास्ता है।
- यह देशज तकनीकी विशेषज्ञता के विकास में मदद करेगा।
- यह वैश्विक बाज़ार में अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक अधिग्रहण में भी मदद करेगा
- हरित तकनीक को सुगम बनाकर यह संवहनीय विकास को एक गति प्रदान करेगा।
- MSME सेक्टर में यह विनिर्माण-वृद्धि को "Make in India" पर राष्ट्रीय ध्यान में सहयोग देने के लिए उत्प्रेरित करेगा।

मुख्य परीक्षा 2012

राष्ट्रीय विनिर्माण योजना (NMP), 2011 के मुख्य उद्देश्यों को चिन्हित करें।

प्राथमिक परीक्षा 2012

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किये हालिया नीतिगत हस्तक्षेप क्या हैं?

11 राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण अंचल का गठन

2 'एकल खिड़की निकासी' का लाभ देना

3 तकनीक अधिग्रहण एवं विकास निधि की स्थापना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करें

a.केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

यह भी चर्चा में

सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों में NPA में बढ़त

चर्चा में क्यों?

12 महीने के काल में सितम्बर 2015 तक बैंकों ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में 26.8% का इजाफा दर्ज किया।

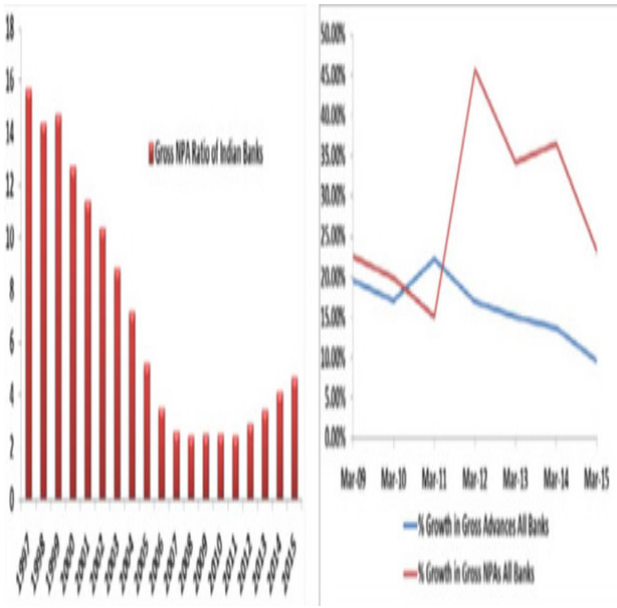

CARE के अनुसार, पिछले 12 महीने में 71,000 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी से सम्पूर्ण NPA अब 3,35,685 करोड़ रुपये हो चुका है।

NPA के जिम्मेदार मुख्य क्षेत्रों में – आधारभूत ढांचा, धातु, टेक्सटाइल, रसायन, इंजीनियरिंग और खनन एक साथ मिलाकर बुरी परिसंपत्तियों का 36% बनाते हैं।

आगे का रास्ता

एक मुकम्मल ऋण जोखिम प्रबंध की गारंटी होनी चाहिए। उधारकर्ताओं के नगदी-प्रवाह के सुसंगत अध्ययन को आधार बनाकर विभिन्न ऋण सुविधाओं की समुचित संरचना करनी चाहिए जो एक यथार्थवादी भुगतान कार्यक्रम का रास्ता खोलेगा। 'सबके लिए एक नाप' दृष्टिकोण सभी उधारकर्ताओं के लिए शायद काम न करे।

विनिर्माण क्षेत्र: सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित कैसे करें

चर्चा में क्यों?

बताया जा रहा है कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिभाशाली पेशेवरों की कमी से निपटने के लिए सरकार ने उच्च कोटि के संस्थानों के प्लेसमेंट सत्रों में पहला स्लॉट परामर्शीय एवं वित्तीय फर्मों के बजाय इंजीनियरिंग फर्मों के लिए आरक्षित करने की कोशिश की।

हालाँकि, यह दृष्टिकोण पथभ्रष्ट है, क्योंकि

- पेशेवर उद्योग का चुनाव मूल्य-निर्धारण की बाज़ार शक्ति के आधार पर करते हैं। सेवा क्षेत्र अधिक वेतन देता है इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा विनिर्माण उद्योग में नहीं आती।
- चीन के उलट भारतीय विनिर्माण फर्में (Research & Development-R&D) सम्बंधित कार्यों में शामिल नहीं रहती इसलिए नयी समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें बहुत पेशेवरों की जरूरत नहीं होती।
- इसका परिणाम काम के बंधे-बंधाये चरित्र और अप्रतिस्पर्धात्मक कम तनख्वाहें होती है।
- उन्नत विनिर्माण जैसे माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स, वायुयान या उसकी सामग्री निर्माण में भारत पीछे है

आगे का रास्ता

भारत की लगातार बढ़ती जनसँख्या को रोजगार केवल विनिर्माण क्षेत्र ही प्रदान कर सकता है, अत: विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिभा को आकर्षित करने व उन्हें रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए-

- ये क्षेत्र रखरखाव इंजीनियर्स से आगे अनुसंधान तथा विकास (R&D) की तरफ बढें।
- देशज अनुसंधान तथा विकास कर रही फर्मों को मदद करने के लिए सरकार एक रूपरेखा बनाये क्योंकि 5G मोबाइल तकनीक एवं मानक विकसित करने वाली चीन की Huawei और ZTE को आवश्यक सरकारी सहायता मिली थी।
- अनुसंधान तथा विकास पर अमेरिका के 2.8% और चीन के 1.98% की तुलना में भारत को GDP के 0.95% मौजूदा मामूली खर्च से ज्यादा धन खर्च करना होगा।

IMF सुधार

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में हिस्सेदारी के सुधारों पर G20 विज्ञप्ति ने भारत का समर्थन किया एवं तेज सुधारों की मांग की, और इन सुधारों में देरी पर नाखुशी व्यक्त की।

IMF हिस्सेदारी और सरकारी सुधार क्यों:

- IMF से उधारी का अधिकार व वोट एक देश द्वारा हासिल हिस्सेदारी पर निर्भर करता है।
- अभी, अमेरिका की लगभग 18% हिस्सेदारी के साथ G7 देश

40% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं।

- यह योजना मौजूदा विश्व आर्थिक तंत्र को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसलिए उभरते देश, BRICS और G20 अक्सर मौजूदा तंत्र में सुधार की मांग करते हैं।
- सुधारों के लिए 70% वोट चाहिए परन्तु वोटिंग तंत्र का अमेरिका और अन्य विकसित देशों के पक्ष में झुके होने से सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी है।
- नवम्बर 2015 तक कुल हिस्से की 80.40% हिस्सेदारी रखने वाले 166 सदस्यों ने (70% से अधिक की जरूरत है) हिस्सेदारी सुधारों के लिए सहमति दी है।
- 2010 में विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ायी गयी थी पर यह गरीब देशों की हिस्सेदारी की कीमत पर हुआ था।
- संचालन सुधारों के मोर्चे पर, अभी 24 में से 5 निदेशक पांच सबसे बड़ी हिस्सेदारियां रखनेवाले तय करते हैं।
- संचालन सुधारों के लिए इसे 85% वोटों की जरूरत होगी जो इसे और मुश्किल बना देते हैं।

भारत के लाभ

- भारत की हिस्सेदारी 2.445% से बढ़कर 2.75% हो जायेगी।
- भारत के पास मौजूदा 11वीं से बढ़कर 8वीं सबसे बड़ी हिस्सेदारी होगी।
- भारत के लिए अधिक वोटिंग अधिकार और उधारी क्षमता।
- निर्णय-निर्माण में भारत का ज्यादा दखल।

कारपोरेट धांधली के लिए विशेष संस्था

पृष्ठभूमि

सत्यम घोटाला जिसमें लेखा परीक्षक भी शामिल था के बाद पहली बार यह सुझाव आया कि कंपनी एक्ट 2013 को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन की जरूरत है जो न सिर्फ आधिकारिक घोषणाओं बल्कि लेखा-परीक्षण पेशे को भी नियमित करने की महत्वपूर्ण शक्तियों से लैस है।

वर्तमान में एक लेखा परीक्षक का किसी केस में शामिल होने की स्थिति में भारत का चार्टेड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) जांच करने व अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार रखता है। और इसमें भी, सरकार द्वारा तय की सीमा के नीचे हुई कोई भी धांधली की जांच पेशेवर संगठन द्वारा कराई जा सकती है।

प्रस्तावित संस्था के विवरण

- यह 2013 कंपनी एक्ट के प्रावधानों के तहत बनाई जायेगी।
- यह संस्था स्वयं-संज्ञान या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट करने पर, रु 500 करोड़ या उससे ऊपर और कतिपय वर्गों में सूचीबद्ध कंपनियों के लेखा व जमाखातों में घोटालों की जांच का अधिकार रखेगी।
- इसके पास फोरेंसिक विशेषज्ञ होंगे।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियमित करने किए लिए इसकी व्यापक भूमिका होगी।

फोरेंसिक लेखा-परीक्षा क्या है?

फोरेंसिक लेखा-परीक्षा एक व्यक्ति या कंपनी के वित्तीय विवरणों की सत्यता और वैधता निर्धारित करने के लिए एक समीक्षा-प्रक्रिया है। यह कोरपोरेट लेखांकन घोटालों को पकड़ने में प्रयोग होती है।

मुख्य परीक्षा 2014:

समावेशी विकास की ओर बढ़ने की रणनीति पर विचार करते हुए, नया कंपनी बिल 2013 ने अप्रत्यक्ष रूप से CSR को बाध्यकारी दायित्व बना दिया है। इसके सच्चे क्रियान्वन में आने वाली चुनौतियों की चर्चा कीजिये। साथ इस बिल के प्रावधानों और उनके निहितार्थों कि भी चर्चा करें।

RBI ने ECB ऋण मानकों को ढीला किया

- न्यूनतम 3 वर्ष की साधारण परिपक्वता के साथ भारतीय कंपनियों की धन उठाने की सीमा 20 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर 50 मिलियन डॉलर कर डी गयी।
- कम्पनियाँ दसवर्षीय फंड उठाने के लिए, जो अभी पांच वर्ष में सीमाबद्ध है, ECB का रास्ता ले सकती हैं।
- समुद्रपार प्रदाताओं की सूची को दीर्घकालिक प्रदाताओं जैसे संप्रभु धन निधि, पेंशन फंड और बीमा कम्पनियाँ को शामिल करना।

महत्वपूर्ण क्यों?

- यह कदम विदेशों में भारतीय कंपनियों को कर्ज लेने में सहायता करेगा।
- अधिक पूंजी विनिमेयता की तरफ एक कदम है।

सामाजिक मुद्दे

ट्रांसजेंडर नीति: चर्चा में क्यों?

ट्रांसजेंडरर्स के लिए नीति बनाने वाला केरल पहला राज्य बना।

केरल की ट्रांसजेंडर नीति

- यह नीति लैंगिक अल्पसंख्यक समूहों के बारे में सामाजिक दुर्भ्रांत को ख़त्म कर उनके साथ भेदभाव-मुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना का लक्ष्य रखती है।
- उच्चतम न्यायालय के 2014 के निर्णय और केरल राज्य के हालिया ट्रांसजेंडरर्स सर्वे के परिणामों को ध्यान में रखते हुए यह नीति ट्रांसजेंडरर्स के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए बनायी गयी है।
- यह नीति पुरुष से महिला TGs एवं इंटरसेक्स सहित, हर वर्ग के ट्रांसजेंडरर्स को समाविष्ट करती है।
- यह नीति उच्चतम न्यायालय निर्णय में वर्णित अल्पसंख्यक समूहों को पुरुष, महिला या TG के रूप में स्वयं की पहचान के अधिकार पर बल देती है।
- यह उन्हें सामाजिक व आर्थिक अवसरों, संसाधनों और सेवाओं की समान उपलब्धता, कानून के तहत समान व्यवहार का अधिकार, हिंसा के बगैर जीवन का अधिकार और सभी निर्णयकारी संस्थाओं में समान अधिकार सुनिश्चित करती है।
- यह TG न्याय बोर्ड के गठन की अनुसंशा करती है जिसके अध्यक्ष राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री होंगे।
- अप्रैल 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 'तीसरा लिंग' को कानूनी वैधता देने वाले फैसले के डेढ़ साल बाद अपनी तरह की यह देश में पहली नीति है; कि TGs को अपना खुद की लिंगीय पहचान करने का अधिकार है; कि TGs को सामजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाय और शिक्षा व नौकरियों में उन्हें आरक्षण दिया जाय।
- जहाँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल में ट्रांसजेंडर्स कल्याण बोर्ड हैं, वही केरल की नीति कल्याण व मदद से आगे बढ़कर अधिकार की वकालत करती है।
- नीति बनाने से पहले केरल में 4000 से ज्यादा TGs के बीच सघन सर्वे हुआ था।
- ऐसे समय में जब धारा 377 जैसा बेरहम कानून जिसका इस्तेमाल TGs एवं समलैंगिकों का शोषण करने में होता रहा है अभी भी अस्तित्व में है; TGs के मानवाधिकारों के उल्लंघन की दशा में यह नीति पुलिस के खिलाफ आपराधिक व अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव करती है।
- लैंगिक हिंसा के खिलाफ कानूनों को यह TGs के प्रति दोस्ताना बनाना चाहती है। इस वर्ष अप्रैल में राज्य सभा ने ट्रांसजेडर व्यक्तियों के अधिकार बिल 2014 पास किया पर इसे अभी लोकसभा सेपास होना है।

लैंगिक असमानता – प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक सेना को संचालित करने वाले कानून में मौजूद एक प्रावधान जो लाभप्रद रोजगार में लगी महिलाओं की नियुक्ति पर रोक लगता हैं, को चुनौती देने वाली याचिका पर हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय और प्रादेशिक सेनाओं को नोटिस भेजा है।

चिंताएं:

- महिलाओं की नियुक्ति पर रोक का तात्पर्य 'संस्थानिक भेदभाव' हुआ जो मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है।
- लिंग के आधार पर भेदभाव सविधान की भावना के खिलाफ जाता है।
- वर्तमान में TA केवल लाभप्रद रोजगार में लगे पुरुषों को ही चयनित करता है।
- देश, विश्व की लैंगिक असमानता तालिका में 127वें और लैंगिक अंतर में 114वें स्थान पर है।

आगे का रास्ता:

देश के विकास के लिए लैंगिक समानता अति-महत्वपूर्ण है। देश में लैंगिक समानता लाना लम्बे समय तक चलने वाले युद्ध की तरह देखा जाना चाहिए न कि एक बार के युद्ध की तरह। वक़्त आ चुका है कि भारत लैंगिक समानता पर एक अर्थपूर्ण विमर्श शुरू करे और ऐसे संस्थागत भेदभावों को ख़त्म करे।

प्रादेशिक सेना

स्थाई सेना के बाद यह देश की दूसरी रक्षा पंक्ति है। यह आपातकालीन स्थितियों में, सैन्य ट्रेनिंग पा चुके स्वयंसेवकों को मिलकर यह बनती है।

यह एक पेशा या रोजगार का स्रोत नहीं है। प्रादेशिक सेना से जुड़ने के लिए लाभप्रद रोजगार या किसी नागरिक पेशे में स्व-रोजगार होना शर्त है।

जनजीवन प्रभावित होने के स्थितियों या देश की सुरक्षा पर खतरे की स्थिति में यह जरूरी सेवाओं के रखरखाव में मदद करती है।

प्रादेशिक सेना एक्ट के प्रावधानों के अनुसार महिलाएं इस संगठन से जुड़ने की पात्र नहीं हैं।

मोटापा

एक स्वतंत्र शोध संस्था के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे

अधिक मोटे लोगों का देश है। युवा लोगों को लम्बी अवधि की चिरकालिक बीमारियों जैसे हृदय से जुड़ी मुश्किलें, मधुमेह, और रक्तचाप अस्थिरता के प्रति कमजोर करने में मोटापा एक नयी गंभीर बीमारी के रूप में सामने आया है।

चिंताएं:

- बच्चों में मोटापा महामारी की तरह फ़ैल रहा है जो अक्सर शारीरिक गतिविधियों के अभाव, असंतुलित खानपान, फॉस्ट फूड भोजन और हार्मोनल मुश्किलों के चलते अधिक वजनदार हो रहे हैं।
- वैश्विक रूप से 2013 में पांच वर्ष के भीतर के ज्यादा वजनदार बच्चों की संख्या अनुमानत: 42 मिलियन से ज्यादा है।
- बचपन में मोटापा से उन्हें कम उम्र में ही गैर-संचारी बीमारियों जैसे हृदय से जुड़ी मुश्किलें और मधुमेह से ग्रस्त हो जाने का खतरा पैदा कर देता है।
- मोटापे से ग्रसित 13% भारतीयों के साथ देश, हृदयरोग जैसी महामारी के बड़े खतरे के सामने खड़ा है।
- युवाओं में मोटापा अकाल हृदयघात को बुलावा देता है। उम्र के 25 से 38 साल में लोग हृदय की बीमारियों से ग्रसित पाए जा रहे हैं।

रामलीला पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन

- संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स द्वारा आयोजित यह सात-दिनी उत्सव था।
- रामलीला पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन 2013 में त्रिनिदाद & टोबागो में हुआ था।
- भारत की रामलीला परम्परा 2005 में UNESCO द्वारा "मानवता की मौखिक एवं अप्रत्यक्ष विरासत की श्रेष्ठ कृति" लिखी जा चुकी है।
- अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के साथ ऐसे उत्सवों का आयोजन भारत को अपनी 'Soft Power' प्रदर्शित करने में मदद करता है।

भारतविद्या का विश्व सम्मलेन

- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के साथ राष्ट्रपति भवन ने पहली बार विश्व भारतविद्या सम्मलेन का आयोजन किया।
- दुनिया भर के भारतविदों ने वरिष्ठ भारतीय विद्वानों के साथ भारतीय संस्कृति और दर्शन के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया।
- जर्मनी के प्रो। स्टेईटेनक्रोन को "विशिष्ठ भारतविद" पुरस्कार राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के द्वारा दिया गया। इस पुरकार के तहत 20,000 अमेरिकी डॉलर और प्रशस्तिपत्र दिया जाता है।

भारत विद्या क्या है?

यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, संस्कृति, भाषाओँ और साहित्य का अकादमिक अध्ययन है।

प्रो। स्टेईटेनक्रोन उडीसा परियोजना के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं जो उडीसा में जगन्नाथ अवतार के इतिहास और सामाजिक-सांस्कृतिक महत्व पर ध्यान केन्द्रित करता है। उन्हें 2004 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है।

लाभ:

- भारतविद्या विद्वानों का एक वैश्विक समुच्चय है जो भारतीय सभ्यता के मूलभूत मूल्यों को वैश्विक पटल पर सफलतापूर्वक प्रचारित कर सकता है।
- वेदांत और उपनिषदों में पायी गयी समावेशिता और सार्वभौमिकता भारतविद्या की प्रमुख पहचान है जो 21वीं शताब्दी के हिंसक वैश्विक मामलों में खासतौर पर प्रासंगिक है।
- सरकार द्वारा भारतविद्या सम्मेलन को, जो भारतीय सभ्यता की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है, पर दिए जा रहे महत्व को रेखांकित करता है।
- ऊँचे मूल्य, लिखित व अलिखित संस्कृति, कर्तव्य व भारतीय जीवन शैली का सार, आधुनिक भारत की जटिल विभिन्नताओं को एकसाथ रखने वाली सभ्यतामूलक मान्यता को मजबूत करेगा।

सामाजिक नवोन्मेष

इसका सम्बन्ध गुणवत्ता, न्याय और पर्यावरण को ध्यान में रखकर सामाजिक चुनौतियों के नए हल से है।

सामाजिक नवोन्मेष के भारत में उदहारण: स्वयं-सहायता समूह, कोपरेटिव्स, लघु-वित्त समुदाय, दूरस्थ शिक्षा, सामुदायिक अदालतें- नए विचार जो आवश्यकताओं और लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम करते हैं।

उप-राष्ट्रपति ने सामाजिक नवोन्मेष पर तीसरे राष्ट्रीय एमिनार का उद्घाटन किया।

महत्व

- सामाजिक उद्यमशीलता, कारोबारी कार्य और परोपकार के बारे में संकुचित सोच से पीछे हटने का और बदले में विभिन्न कारकों व हितधारकों की परस्पर-संबद्धता को पहचानने का विशेष अवसर देता है।
- सामाजिक शक्ति संरचना को बदलने में मदद करता है।
- आर्थिक विकास के वैकल्पिक मॉडल्स बनाने में मदद करके दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण, जहाँ मानव-संबंधों एवं भलाई को विकृत करने के बजाय मजबूत करते हैं
- नए बाज़ारों के सृजन के लिए सामाजिक समाधानों की जरूरत
- हाशिये की जनसंख्या को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना और नागरिकों का निर्णय लेने में भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- अंत में, यह नवोन्मेष प्रक्रिया में सिर्फ लोगों की गोलबंदी में

सहयोग नहीं देता बल्कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को बढ़ावा भी देता है।

आगे का रास्ता

- राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक योजना में इन गतिविधियों में और बेहतर तालमेल व एकीकरण पर ध्यान की जरूर।
- विज्ञान, तकनीक, और नवोन्मेष में शिक्षा और शोध कुलीन विज्ञान पर ध्यान देने से आगे जाये और विभिन्न सामाजिक जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देने वाले विज्ञान को मदद करना शुरू करे।
- क्षमता-निर्माण में भारी निवेश के द्वारा सामाजिक आधार को पुनर्जीवित करना और सामाजिक नवोंमेषियों के विकास की पूर्वशर्त आपसी अंत:क्रिया और सहयोग के लिए अनुकूल प्लेटफार्म का निर्माण करना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करना चूँकि ये सामजिक नवोन्मेषों की मदद में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

परिवार की बदलती लैंगिक-सोच

- एक-चार बच्चों के परिवार में लड़के लड़कियों से ज्यादा पैदा होंगे
- चार बच्चों से अधिक के परिवार में, एक आकस्मिक विपर्यय होना शुरू होता है, जहाँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा आम हो जाती थीं।
- लिंग-निर्धारण में अक्षम परिवार, या लिंग-निर्धारण न करवाने वाले, संभवत: बालक शिशु की उम्मीद में ज्यादा गर्भधारण देखने को मिलेंगे।
- इसलिए बड़े परिवारों में में ज्यादा लड़कियां होंगी क्योंकि बालक शिशु की चाह परिवार का आकार बढ़ाएगी।
- जैसे पिछले दशक में परिवार का आकार छोटा हो गया, जिससे ये प्रक्रियाएं और तेज हुई हैं।
- छोटे परिवारों में लड़कियों से ज्यादा लड़के और बड़े परिवारों में लड़कों से अधिक लड़कियों जैसी असमानता 2001 और 2011 में तेजी से बढ़ती गयी।

बेटे ही क्यों?

आर्थिक उपादेयता: जो कि कृषि उत्पादन, वेतन कमाई और बुढ़ापे का सहारा के रूप में होता है।

सामाजिक उपादेयता: गोत्र के साथ वंश परम्परा बनाने से लेकर बालक शिशु का होना परिवार की शक्ति और हैसियत बढ़ता है, साथ ही दहेज के रूप में परिवार को मिलने वाला लाभ।

धार्मिक उपादेयता: पुरखों की मुक्ति के लिए चिता को अग्नि देने, पिंडदान करने में सिर्फ पुरुषों का महत्व इत्यादि।

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class:1
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी

भारत में 3G

- 2015 के अंत तक भारत में आधे बिलियन से ज्यादा लोग मोबाइलधारक होंगे। यह दुनिया की मोबाइल जनसँख्या का 13% होगा।
- यद्यपि, सिर्फ 11% मोबाइल 3G थे और अभी अधिकांश मोबाइल जनसँख्या 2G है।

भविष्य में टेलिकॉम उद्योग के समक्ष चुनौतियाँ

- सेवाओं की डिलीवरी के लिए 3G पहली आवश्यकता है, अब भी 2G का इस्तेमाल कर रहे अधिकतर लोग इस अर्थव्यवस्था में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
- उच्च गुणवत्ता, बड़े पैमाने पर उपलब्धता और वहन करने लायक ब्राडबैंड उपलब्ध करना काफी चुनौती भरा होगा।
- स्पेक्ट्रम को नियमित करने वाली रूपरेखा और दृष्टिकोण जो निवेश और नवोन्मेष को बढ़ावा देने की जरूरत हैं।

भारत में टेलिकॉम उद्योग का सहयोग

- पूरी GDP का लगभग 6.1%
- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लगभग 4 मिलियन रोजगारों का सृजन
- JAM त्रिदेव का एक स्तम्भ। सरे बिचौलियों को हटाते हुए मोबइल फ़ोन अब लाभार्थी के खाते में सीधे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत के लिए राष्ट्रीय नीति

ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) क्यों महत्वपूर्ण है?

- मोबाइल स्पेक्ट्रम सीमित है।
- OFC की सहायता से wi-fi हॉटस्पॉट बनाया जा सकता है और इन्टरनेट की पहुँच 90% तक बढ़ायी जा सकती है।
- स्पेक्ट्रम की तुलना में यह ज्यादा स्पीड और डाटा ट्रांसफर की सुविधा देता हैं।

बाधाएं:

- फाइबर बिछाने के लिए शहरों में गड्ढे खोदना काफी समय लेता है।
- इन गड्ढो की खुदाई की आज्ञा मिलने में काफी देरी होती है।

सरकार द्वारा अपनाई जा सकने वाली नीतियां:

- सरकार हर नयी इमारत को उसकी, रूपरेखा-योजना में बिजली, पानी जैसी अन्य सेवाओं की तरह OFC के लिए प्रावधान का निर्देश दे सकती है।
- देश में बैंडविड्थ की आपूर्ति बढ़ने के लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को एक सतह काम करना होगा।
- पूरे देश में OFC पहुँचाने के लिए सरकार निजी पूंजी को भी आमंत्रित करना चहिये।

सर चंद्रशेखर वेंकटरमण का योगदान

मुख्य काम :

- रमण प्रभाव: किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश के बिखरने की व्याख्या की। 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरष्कार दिया गया।
- भारतीय तबला, मृदंगम और वायलिन जैसे संगीत उपकरणों में कम्पन और ध्वनि की प्रकृति पर काम किया।
- अल्ट्रासोनिक और हाइपरसोनिक तरंगों की आवृत्तियों द्वारा प्रकाश के विवर्तन का प्रायोगिक व सैधांतिक अध्ययन।

उनकी 45वीं पुण्यतिथि 21नवम्बर 2015 और 128वां जन्मतिथि 7 नवम्बर 2015।

सम्मान और पुरस्कार

- शुरुआती कैरियर (1924) में रॉयल सोसाइटी ऑफ़ लन्दन में फेलो के रूप में चुनाव और 1929 में नाइट की उपाधि।
- 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता।
- 1954 में भारतरत्न दिया गया।
- 1928 में रमण प्रभाव की खोज के दिन 28 फरवरी को भारत हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है।
- विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वे पहले भारतीय व पहले अ-श्वेत थे। उनके पहले रबिन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार पा चुके थे।

फिर से हड्डियाँ बनाने के लिए नैनो-तकनीक

- भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रैफीन यौगिक के '3D ब्लॉक्स' अस्थि-टिशू के पुनर्जन्म में प्रयुक्त किये जा सकते हैं क्योंकि वे अस्थियों के आवरण की नक़ल करते हैं।
- ग्रेफीन का इस्तेमाल, पोलीकैप्रोटैकटोन (स्वाभाविक तरीके से सड़ जाने वाला बहुलक (polymer) है जो हड्डी को सहारा देने के लिए प्रयुक्त होगा) को मजबूत करने के लिए होगा।

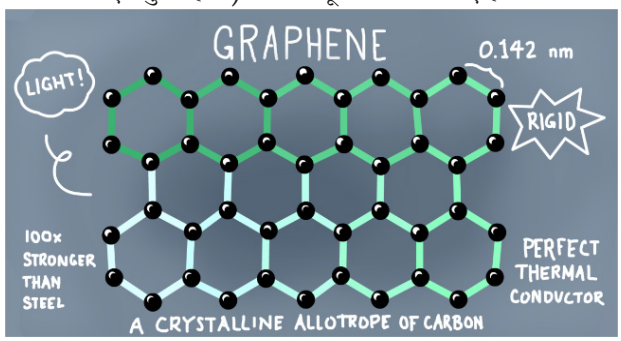

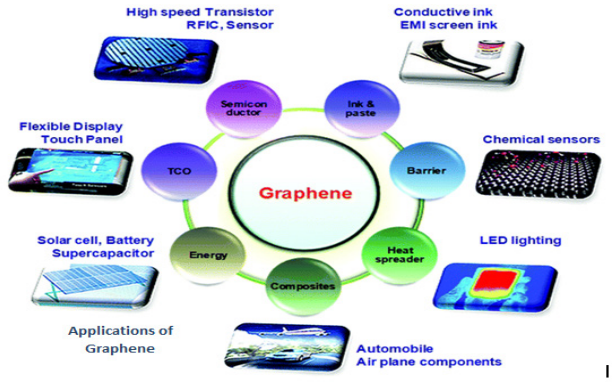

- PCL का उद्देश्य पुनर्जन्मित कोशिकाओं के लिए एक अस्थायी घर देना होगा और इसी क्रम में स्वस्थ टिशू scaffold (टिकठी) को हटा देंगे
- नैनो-तकनीक ग्रेफीन के 3D ढांचे बनाने में प्रयुक्त होगी।

ग्रैफीन क्या है?

यह आयोजक पत्रों (2D ढांचे) से बना मधुमक्खी के छत्ते जैसे जाल की तरह व्यवस्थित परमाणुओं के साथ, एक मोटा कार्बन परमाणु का एक रूप हैं।

हाल में ग्रैफीन बार-बार चर्चा में रहा है। इसका क्या महत्व है?

1. यह 2D पदार्थ है और विद्युत् संचार के लिए अच्छा है।

2. अब तक परीक्षित किया गया यह सबसे बारीक पर सबसे मजबूत पदार्थ है।

3. यह पूरी तरह सिलिकॉन से बना है और इसमें उच्च ऑप्टिकल पारदर्शिता है।

4. यह स्पर्श-पटलों, LCDs और जैविक LEDs के लिए जरूरी 'चालक इलेक्ट्रोड्स' की तरह प्रयुक्त हो सकता है।

नीचे दिए गए कौन से वक्तव्य सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3 और 4 (c) केवल 1, 2 और 4 (d) 1,2,3 और 4

नया इंफ्लुएंजा वायरस भारतीयों को संक्रमित कर सकता है ।

- भारत को नए इंफ्लुएंजा वायरस H9N2 और H7N9 जो फिलहाल बांग्लादेश और चीन के कुक्कुट पालन बाज़ार में काफी सक्रीय है, की घुसपैठ की रोकथाम लिए तैयार रहना चाहिए।
- 2006 में चीन से आने वाले H5N1 वायरस से भारतीय पहले भी संक्रमित हो चुके हैं।

इन्फ्लुएंजा वायरस में H और N का क्या मतलब है?

- वायरस की सतह पर पाए जाने वाले दो प्रोटीनों के आधार पर इन्फ्लुएंजा वायरस दो उप-प्रकारों में विभाजित किया जाता है ।
- हेमाग्ग्लुतिनिन hemagglutinin (H) और
- न्यूरामिनिडेज neuraminidase (N)।
- हेमाग्ग्लुतिनिन के 18 उप-प्रकार हैं और न्यूरामिनिडेज के 11 उप-प्रकार हैं।

निसार मिशन: इसरो और नासा का सहकार्य

- The NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) मिशन इन दो अन्तरिक्ष संघठनों के बीच सबसे बड़ा सहयोग उपक्रम होगा।
- मिशन उच्च राडार इमेजिंग का उपयोग करते हुए पृथ्वी के और विस्तृत दृश्य के लिए 2,600 kg की सॅटॅलाइट का निर्माण करेगा।
- भारतीय प्रक्षेपक वाहन से इसके 2020 तक प्रक्षेप होने की उम्मीद है।
- payload
- L-बैंड (24 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य): नासा द्वारा निर्मित की जायेगी।
- s-बैंड (12 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य): इसरो द्वारा निर्मित की जायेगी।

निसार का कार्य

- पारिस्थिकीय तंत्र में गड़बड़ी, हिमचादरों का विघटन और भूकम्प, सुनामी, ज्वालामुखी और भू-स्खलन सहित इस ग्रह की कुछ सबसे जटिल प्रक्रियाओं का परीक्षण करना और परिमाप लेना।
- पृथ्वी की भौगौलिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाना ।
- मुफ्त में उपलब्ध विश्व का सबसे बड़ा रिमोट सेंसिंग आंकड़ा मुहैया कराना।

नासा और इसरो के बीच पहले हुए सहकार्य

- 2005 में चंद्रयान-1 मिशन: जिसमें नासा का Moon Mineralogy Mapper मिशन के साथ गया था जिसके परिणामस्वरूप चाँद पर पानी की 'संयुक्त खोज' हुई थी।
- 2014 मंगलयान मिशन: जिसमें गहरे अन्तरिक्ष में नौपरिवहन संबंधी नासा की विशेषज्ञता एवं गतिशीलता ने मिशन की मदद की।

गीगाबाईट के स्तर का तारहित डाटा ट्रांसमिट करने के लिए 'LI-FI' LED लाइट बल्ब्स

- अब तक तारहित डाटा ब्लूटूथ(धीमी गति, तारहित छोटी दूरियों के संपर्कों के लिए,) सेलुलर सिग्नल्स (3G की विस्तृत श्रृखला और शीघ्र ही 4G) या WiFi (कमरे के भीतर या खुले एरिया में तारहित ब्रॉडबैंड) द्वारा सुगमित किया जाता था।
- हाल ही में विकसित चीजें, तकनीक की एक नयी पीढ़ी की तरफ इशारा कर रही हैं जिसे Li-Fi (शिथिलतापूर्वक प्रकाश-निष्ठा की ओर बढ़ती हुई) कहा जा रहा है, जो LED लाइट्स का इस्तेमाल डाटा प्रेषित करने में करेंगी।
- ठीक से नियंत्रित लाइट उतार-चढ़ाव का इस्तेमाल करते हुए

सामान्य दृश्य प्रकाश का प्रयोग डाटा भेजने में हो सकता है।

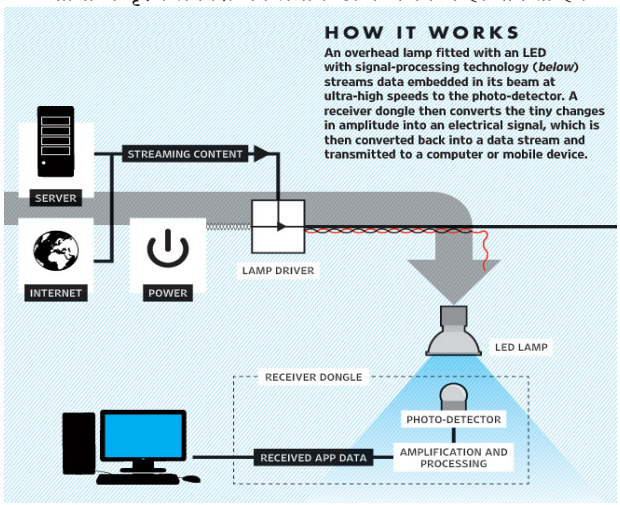

- मौजूदा Wi-FI से इसकी गति 10 से 100 गुना तेज़ होगी।
- इस तकनीक की प्रेषण (संचरण) सीमा, Wi-Fi जैसी रेडियोतरंग आधारित तकनीक से कम है।
- रेंज आवृत्ति की व्युत्क्रमानुपाती ढंग से अनुपात में होती है।

वर्तमान उपयोग

- घरेलू उपकरणों और डिवाइस संचार को सक्रीय करने में प्रयुक्त
- यह रीढ़ की हड्डी के समान आधार नेटवर्क को मदद करने के लिए उच्च-गति पॉइंट-to-पॉइंट नेटवर्किंग डिवाइस में प्रयुक्त किया जाएगा।
- डाटा से युक्त लाइट्स सामान्य प्रकाश देने का कार्य जारी रख सकती हैं, अल्ट्रा-ब्रॉडबैंड डाटा ट्रांसमिट करते हुए कमरे को प्रकाशित भी करना।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

LIVE/ONLINE Classes also available www.visionias.in

- INTERACTIVE AND INNOVATIVE WAYS OF TEACHING
- ONLINE ACCESS TO STUDY MATERIAL, TESTS & PERFORMANCE INDICATORS
- CONTINUOUS ASSESSMENT THROUGH ASSIGNMENTS AND ALL INDIA TEST SERIES
- INDIVIDUAL GUIDANCE

40+ Selections in top 100
400+ Selections in CSE 2014

ALL INDIA IAS TEST SERIES 2015
Enroll into innovative Assessment System from the leader in Test Series Program
- General Studies
- Philosophy
- Sociology
- Public Administration
- Geography
- Essay
- Psychology

All India Rank, Performance Analysis, Flexible & Expert Discussion
Starts : 5th Sep

GENERAL STUDIES ADVANCED BATCH 2015
For Civil Services Mains Examination 2015
Starts : 7th Sep

ETHICS MODULE
- By renowned faculty and senior bureaucrats
- 25 Classes
- Regular Batch

Starts : 15th Sep

www.facebook.com/visionias.upsc
www.twitter.com/Vision_IAS

DELHI:
- HEAD OFFICE: 1/8-B, Apsara Arcade, Near Gate 6, Karol Bagh Metro
- Rajinder Nagar Centre: 78, 1st Floor, Old Rajinder Nagar, Near Axis Bank
- 103, 1st Floor B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar

Contact : - 9650617807, 9717162595, 8468022022

JAIPUR:
- Ground Floor, Apex Mall, Jaipur, Rajasthan Contact :- 9001949244, 9799974032

HYDERABAD:
- 1-10-140/A, 3rd Floor, Rajamani Chambers, St. No.8, Ashok Nagar, Telangana - 500020. Contact :- 9000104133, 9494374078, 9799974032

पारिस्थितिकी और पर्यावरण

नागालैंड के दोयांग झील के अमुर बाज़

- अमुर बाज़ एक भ्रमण करने वाली पक्षी है जो हर साल मंगोलिया से दक्षिण अफ्रीका की उडान के दौरान दोयांग झील को अपना बसेरा बनाती हैं।
- नागालैंड के पुंगटी गांव को अमुर बाज पक्षियों की विश्व राजधानी माना जाता है।
- जल्द ही केंद्र विश्व के पक्षी प्रेमियों के लिए दोयांग झील क्षेत्र को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा ।
- अभी तक, नागालैंड के आदिवासी अमुर बाज़ पक्षियों का शिकार कर उसका मांस खाते थे।
- अब वही आदिवासी, वन्य जीव संरक्षण संस्थानों और कार्यकर्ताओं द्वारा दिए प्रेरणा और प्रशिक्षण के कारण इन पक्षियों को बचाने का काम करते है।

आपदा न्यूनिकरण के लिए भारत और सेंडाई समझौता

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय समर्थन एवं समुदायिक स्तर पर लचीलापन कायम करने की दिशा में किये प्रयासों के लिए भारत को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एशिया चैंपियन करार दिया गया।।
- सेंडाई समझौते के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (UNISDR) ने भारत को पहला क्षेत्रीय चैम्पियन घोषित किया है।

सेंडाई समझौता क्या है?

सेंडाई समझौते को मार्च 2015 में जापान के मियागी प्रान्त के सेनडाई शहर में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था।

- यह एक 15 वर्षीय गैर-बाध्यकारी समझौता है।
- इसके अनुसार आपदा जोखिम को कम करने में मुख्य भूमिका राज्य की होगी परन्तु यह जिम्मेदारी निभाने में अन्य हितधारकों जैसे स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्र को भी भाग लेना चाहिए।
- यह ह्यूगो रूपरेखा का संशोधित संस्करण है।

उद्देश्य- आपदा जोखिम और आपदा से हुए मानव जीवन, आजीविका, स्वास्थ्य और लोगों के आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संपत्ती के नुक़सान को कम करना।

सेंडाई समझौते की प्राथमिकताएं:

1. आपदा जोखिम को समझना;
2. आपदा जोखिम को संभालने के लिए आपदा जोखिम शासन को मज़बूत करना;
3. लचीलेपन के लिए आपदा जोखिम कमी में निवेश;
4. प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को बढ़ाना, और 'बेहतर वापसी', पुनर्वास और पुनर्निर्माण।

सेंडाई समझौते के सात वैश्विक लक्ष्य:

1. 2005-15 की तुलना में 2020-30 में प्रति 100,000 में वैश्विक मृत्युदर के निम्न औसत को हासिल करने को लक्ष्य करते हुए वैश्विक आपदा मृत्युदर को 2030 तक काफी कम करना;
2. 2005-15 की तुलना में 2020-30 में प्रति 100,000 में वैश्विक आंकड़े के निम्न औसत को हासिल करने को लक्ष्य करते हुए 2030 तक वैश्विक रूप से प्रभावित लोगों की संख्या को काफी कम करना;
3. 2030 तक सकल वैश्विक घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रत्यक्ष आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना;
4. 2030 तक महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचों और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं और उनका लचीलापन विकसित करते हुए, उनपर आपदा का प्रभाव काफी कम करना;
5. 2020 तक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर आपदा जोखिम कटौती रणनीति से लैस देशों की संख्या में वृद्धि;
6. 2030 तक इस दृष्टिकोण को लागू करने के लिए विकाशशील देशों में एक दूसरे के राष्ट्रीय-कार्यक्रमों की पर्याप्त और सतत मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को उचित ढंग से बढ़ाना;
7. 2030 तक लोगों के समक्ष बहु-खतरा सचेतन तंत्र और आपदा जोखिम सूचना की पहुँच को बढ़ाना और मूल्यांकन उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्र और राज्य सरकार को आर्द्रभूमि (वेटलैंड्स) का संरक्षण करने के लिए कहा

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों को वेटलैंड्स की पहचान और संरक्षण के लिए कहा।

प्रचलित समस्याएं:

- वेटलैड्स जब नष्ट हो जाते है तो उनका बहाली और संरक्षण असंभव हो जाता है क्योकि न तो उनकी पहचान हुई है और न ही उनका वर्गीकरण किया गया है।
- राज्य एवं केन्द्रीय सरकार दोनों ही आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम) के नियमों के तहत वेटलैंड्स की पहचान करने के अपने कानूनी दायित्व को पूरा करने में असफल रहे हैं।
- केन्द्र ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन किया है जिसके कारण वेटलैड्स खोने की संभावना बढ़ गई है।

- सरकार वेटलैंड्स के आस-पास कार्य रोकने मे असफल रही है, जिस प्रकार इसरो ने 2007 और 2011 में किया था।

वेटलैंड्स का महत्व:

- यह जल-चक्र में अहम भूमिका निभाते है। ये अत्यंत उत्पादक क्षेत्र है और विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराती हैं।
- कचड़ा निस्तारण, जल-शुद्धिकरण, भोजन शमन, अपरदन रोकथाम, भूजल पुनर्भरण, सूक्ष्म पारिस्थितिकीय नियंत्रण में मदद करते हैं
- यह हमारे सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होने के अलावा कई अहम मनोरंजन के लिए आयोजित, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समर्थन करती है।

CSE 2009: वेटलैंड्स और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए

CSE 2010: 'रामसार सम्मेलन' में चुने भारत मे स्थित किन्ही 8 वेटलैंड्स के नाम बताइए। 'मॉन्ट्रो रिकॉर्ड' क्या है और कौन से भारतीय राज्य इन में शामिल है?

CSE Prelims 2012:

वेटलैंड्स के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वेटलैंड्स का क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक दर्ज किया गया है।

2. भारत में कोस्टल वेटलैंड्स का कुल भौगोलिक क्षेत्र इनलैंड वेटलैंड्स से अधिक है।

ऊपर दिए कथनो में कौन सा कथन सही है?

(a) मात्र 1 (b) मात्र 2 (c) दोनो 1 और 2
(B) ना 1 ना 2

बुरे शहरी नियोजन के कारण चेन्नई में बाढ़

केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के कई भागों और तमिलनाडु में सर्दियों मे भी 'लौटते मानसून' के कारण बारिश होती है। तेज़ बारिश और खराब शहरी नियोजन के कारण स्थिति बहुत बिगड़ गई।

नियोजन की खामियाँ

- लापरवाह और अवैध निर्माण के कारण पानी के आउटलेट मे बाढ़।
- कम से कम 300 जल निकाय आवासीय बना दिये गए है।
- अधिकांश जलमार्ग, टैंकों और जलाशयों में सिल्ट के कारण बहाव मे रुकावट हो रही है और उनके प्रवाह चैनलों और किनारों पर अतिक्रमण किया गया है
- वियोजित नालियों के कारण तालाब और जलाशयों का पानी ओवरफ्लो हो समुद्र में नहीं जा रहा जिसके चलते सड़कों पर बाढ़ की स्थिति हो गई है।
- अगर जलाशयों पर हो रहे काम को नियंत्रित किया होता और मानसून के पहले नाले और पानी के चैनलों की 'डीसिल्टिंग' की गई होती तो ऐसी आपदा रोकी जा सकती थी।
- किसी भी शहर के अत्यधिक विकास के अनुपात में एक जटिल जलनिकासी तंत्र की जरूरत होती है। इस तथ्य को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

यह बहुत ज़रूरी है कि सरकार एक वास्तविक समाधान लागू करे जिससे जलाशयों को उनमें हुए निर्माण और आवासों से मुक्त किया जाए।

CBDR से INDC

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत समान परन्तु अलग-अलग जिम्मेदारी और सम्बंधित क्षमताओं (CBDR-RC) का सिद्धांत जलवायु-परिवर्तन को हल करने में विभिन्न देशों की अलग-अलग क्षमताओं और अलग-अलग जिम्मेदारियों को चिन्हित करता है।
- CBDR-RC का सिद्धांत 1992 की UNFCCC समझौते में सन्निहित है जिसका सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया था।
- UN के पर्यावरण समझौते में CBDR-RC ने एक मार्गदर्शी सिद्धांत का काम करने के साथ मतभिन्नता का भी स्रोत रहा है। CBDR-RC को देखते हुए convention देशों को "Annex I" और "non-Annex-I" में विभाजित करता है जहाँ पहला सामान्यतया विकसित देशों को और दूसरा विकासशील देशों को संदर्भित किया गया है। Convention, non-Annex-I की तुलना में Annex-I देशों को अधिक से अधिक शमन भूमिका देता है।

CBDR-RC के पतन के कारण:

- Annex-I देशों में असहजता की शुरुवात: कई पश्चिमी देश एक ऐसे वैश्विक मुद्दे के लिए, जिसका उनके ऊपर कोई प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ रहा, अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए तैयार नहीं हैं।
- चीन का विकास : 1990 से चीन के तेज विकास ने पश्चिम के हितों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। उद्योगों पर सख्त उत्सर्जन मानक उनके उत्पादों को चीनी मालों के सामने और अप्रतिस्पर्द्धात्मक बना देंगे। चीन द्वारा GHGs उत्सर्जन में विश्व के सबसे बड़े उत्सर्जक अमेरिका को भी पीछे छोड़ देने से भी उनका केस मजबूत हुआ है।
- अमेरिका की भूमिका: अमेरिका ने क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि करने से मना कर दिया और UNFCCC के जन्म से अब तक, पहली बार पर्यावरण-परिवर्तन पर वैश्विक वास्तुकला को

बदलने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उसका तर्क है कि चीन और भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मक्सिको इत्यादि देशों के उत्सर्जन को रोके बगैर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में प्रभावकारी ढंग से कुछ नहीं किया जा सकता।

- जापान, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कुछ देश क्योटो प्रोटोकॉल से बाहर आ गए।
- कई दौरों की बातचीत, प्रोत्साहन और धमकियों के बाद मौजूदा सूत्रीकरण 2013 में डरबन में तय हुआ था - जिसके आधार पर नया समझौता अगले महीने पेरिस में किया जायेगा।

उत्सर्जन कटौती एक INDCs: अब हर देश को प्रत्यक्ष कार्यक्रम लेने की जरूरत है जिसका परिमाण और सीमा उसी देश को तय करनी होगी। (INDC के विवरण के लिए अक्टूबर नोट्स देखें)

Your liitle help could make them realise their DREAM

Doctor

Ankush sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Actor

Vandna devi class:3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Engineer

Sadhana devi class:ukg
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Cartoonist

Rupa Devi class :3
Father: Sankar lal(Labour)
Mother: Anita devi(Labour)

Astronaut

Shivam maurya class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Writer

Mona sachan class:6
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Scientist

Akanksha devi class: LKG
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

Comedian

Gaurav Kumar class:I
Father: Virendra sachan(Farmer)
Mother: Alka Devi(Farmer)

To Educationally adopt one of these children visit us at www.globalvillagefoundation.in

आंतरिक सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था

पेरिस में हमला – फ्रांस क्यों?

- सीरिया में ISIS (Daesh) के खिलाफ जारी अभियानों में फ्रांस अग्रणी देशों में है।
- फ्रांस यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादियों में से एक है जो राष्ट्रीय मुख्यधारा में कम संयोजित है और मुख्यधारा में लाने के फ्रांस सरकार के गैर-दोस्ताना रवैये के खिलाफ उसमें नाराजगी है।
- Daesh "ईराक और Levant के इस्लामी राज्य" का 'सरल परिचय' है। ISIS के विरोधियों द्वारा यह आमतौर पर इस्तेमाल किया जाना वाला नाम है और इसकी कई नकारात्मक ध्वनियाँ हैं जैसे Daesh के समान ध्वनि वाला अरबी शब्द Daes (वह जो किसी चीज को पैरो तले कुचल देता है) है और Daesh (वह जो कलह करता है)।

मुंबई हमले की तुलना में पेरिस हमले का तुलनात्मक विश्लेषण

समानताएं:

- भय और दिल दहला देने वाला प्रभाव पैदा करके अर्थव्यवस्था और पर्यटन को निशाना बनाना
- शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय रेस्तरां और भोजन स्थान
- 'बचने का कोई अपवाद नहीं' के साथ आत्मघाती हमलावर
- कार्य अंजाम देने का सटीक, बहुतरफ़ा समन्वित, अप्रत्याशित तरीका
- विभिन्न जगहों पर एक साथ हमला करती कई टीमें
- AK-47 से लैस और अंधाधुंध गोलीबारी
- Le Bataclan कंसर्ट हाल और होटल ताजमहल दोनों में बंधक बनाना
- कम-खर्च संसाधन
- आम जनता को केंद्र में रखकर बड़े पैमाने पर हत्या; अपनी देश की सुरक्षासीमा में ही नागरिकों पर निशाना
- ख़ुफ़िया तंत्र की सटीकता में कमी

भिन्नताएं:

	पेरिस	मुंबई
Non State Actors की भूमिका	ऐसा लगता है कि पेरिस हमले आत्म-निर्देशित थे	पाकिस्तान स्थित LeT नेतृत्व द्वारा योजनाबद्ध और निर्देशित। शुरू से अंत तक अंतिम जेहादी के मारे जाने तक यह पेशेवर हैंडलर्स द्वारा निगरानी एवं सूक्ष्मता से संचालित किये गये थे।
प्रेरणा	stigma का अहसास	पैसे और बेहतर भविष्य से प्रेरित
हमलावरों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि	अरब मूल के यूरोपियन। पांच फ्रांसीसी बाकी बेल्जियन और इन्हें देशों में पैदा हुए, और उनका यह कार्य उनकी स्थानीय परिस्थिति से काफी जुड़ा हुआ है	गरीब वर्ग के नौजवान जो पैसे और बेहतर भविष्य के लिए जिहाद से जुड़े।
संचार के आधुनिक उपकरण	ज्यादातर नजरअंदाज किया	हाँ,GPS समन्वयन, सेटेलाईट संचार और जीवंत प्रसारण
अन्य हितधारिकों का प्रदर्शन – अस्पताल	अच्छी तरह से सुसज्जित सुविधाएं	हमारे अस्पताल इस तरह के बड़े नरसंहार से निपटने के लिए तैयार नहीं थे
जनता की प्रतिक्रिया	खुले दिल से स्वयंसेवा	मदद या पीड़ितों के रिश्तेदारों तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई स्वयंसेवक नहीं थे जो हमने बाद में सुसंगत नेटवर्क के माध्यम से किया

भारतीय परिस्थिति

भारत के लिए ISIS एक वर्तमान और स्पष्ट खतरा है। खतरे से पहले हमें इससे निपटना होगा।

- जबकि भारतीय एजेंसियां किसी आसन्न खतरे की सम्भावना से नकार रही हैं यह स्पष्ट है कि IS के तरीके के हमलों का बहुत कम लागत, पर अधिक प्रभाव वाले हमले के एक नए संस्करण की देश में काफी सम्भावना है।
- स्थानीय शिकायतों की वैश्विक गूँज और IS प्रचार के झांसे में आने की सम्भावना का राजनीतिक सत्ता को सामना करना होगा।

भारत की तैयारी का स्तर

- आतंकवाद से निपटने में हमारी तकनीकी, उपकरणीय और मानव संसाधन के स्तर पर तैयारी अभी भी निराशाजनक है।
- 26/11 के हमलों के बावजूद, अभी भी भारतीय ख़ुफ़िया एजेंसियां आगामी हमलों को रोकने के लिए जरूरी साज-सज्जा में कमजोर हैं।

अतएव, भारत हर तरह के अतिवाद को नियंत्रित करे, संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से एजेंसियों को सुसज्जित एवं लगातार निगरानी में रखे।

मेगासिटी सुरक्षा सम्मेलन – मुंबई

सम्मेलन के बारे में

- अमेरिकी Consulate General द्वारा आयोजित
- सम्मेलन में आठ देशों ने नीतिनिर्माताओं, कानून प्रवर्तन अधिकारीगण, सुरक्षा विशेषज्ञ और चुनिन्दा चिन्तकों ने हिस्सा लिया।
- उन्होंने मुंबई, न्यूयॉर्क, ईंस्तान्बुल, शिकागो, मनीला, ढाका, नैरोबी, और मक्सिको सिटी जैसी विश्व के कुछ सबसे बड़े महानगरों में सुरक्षा नीतियों को लागू करने के जमीनी अनुभवों को बांटा।
- दुनिया के चार महानगरों- मुंबई, लन्दन, मनीला और न्यूयॉर्क के सुरक्षा विशेषज्ञों ने आतंकी हमले रोकने के लिए हितधारकों के बीच बेहतर नेटवर्किंग पर जोर दिया।
- आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देने के महत्वपूर्ण मुद्दे को भी उठाया और आतंकी सगठनों की फंडिंग रोकने की वकालत की। इस धन द्वारा ही आतंकी ग्रुप अपने गुर्गों की ट्रेनिंग, अत्याधुनिक उपकरण और हथियार और अन्य चीजें में लगने वाले बहुत ज्यादा पैसे का इंतज़ाम करते हैं।

आतंरिक सुरक्षा पर भारत-अमेरिका सहयोग

- 2011 में अमेरिका-भारत होमलैंड सुरक्षा संवाद बनाया गया था जो होमलैंड सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच पहला व्यापक पहला द्विपक्षीय संवाद था।
- यह संवाद गृह मंत्रालय और US होमलैंड सुरक्षा विभाग के द्वारा समन्वित होमलैंड सुरक्षा को मजबूत करने से जुड़ी गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र को सम्मिलित करता है।
- इसने जांचों, क्षमता निर्माण, खतरों का निस्तारण करने में कामकाजी समन्वय बढाया है।
- कूटनीतिक सुरक्षा ब्यूरो से संचालित आतंकवाद-विरोधी अमेरिकी राज्य विभाग (ATA) कार्यक्रम ने पिछले एक साल में 250 से अधिक भारतीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को, भारत और अमेरिका दोनों के पाठ्यक्रमों में, ट्रेनिंग दी।
- भारत के हजारों पुलिस अधिकारियों की क्षमता बढाने के लिए US द्वारा Senior Crisis Management, जांच तकनीकें, बमविस्फोट घटनाओं को रोकने के उपाय और सामुदायिक निगरानी जैसे क्षेत्रों में भारतीय प्रवर्तन अधिकारियों के लिए हर वर्ष औसतन दस "Trains the Trainer" नाम के ATA पाठ्यक्रम।

आतंक से लड़ने वाले शहरों के वैश्विक नेटवर्क में मुंबई

- अतिवाद का सामना करने और साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए तकनीकों के आदान-प्रदान और ढांचा विकसित करने के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय शहरों के नेटवर्क में अब मुंबई शामिल हो गया है।
- UN के स्तर पर बने इस नेटवर्क ने महाराष्ट्र सरकार को अतिवाद से निपटने और साइबर सुरक्षा तंत्र की किलेबंदी करने के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने में मदद का वादा किया है।
- हाल में आतंकी गतिविधियों से प्रभावित 25 अंतर्राष्ट्रीय शहरों के इस नेटवर्क में मुंबई एकमात्र एशियाई शहर है।
- आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तकनीक बांटने और आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए यह ग्रुप इन शहरों के बीच साझा मंच की तरह काम करेगा।
- 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली मीटिंग पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में हुई। इस सम्मेलन में उन्होंने कोष बनाने का निर्णय लिया।
- इस नेटवर्क में शामिल अन्य महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क, लन्दन, पेरिस, डेनवर, ओस्लो, स्टॉकहोल्म, मोंट्रियल और कोपेनहेगेन हैं।
- चुनाव का एकमात्र पैमाना यह था कि वह शहर अपने देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हो और आतंकवाद से प्रभावित होना चाहिए।

जम्मू और कश्मीर में प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

1 कश्मीर प्रभाग में

- यह प्रस्ताव कश्मीरी प्रवासियों के लिए भारत सरकार की आर्थिक सहायता के साथ राज्य की सरकारी नौकरियों में अतिरिक्त 3000 अतिरिक्त रोजगार प्रदान करेगा और
- राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त नौकरियां पाए कश्मीरी प्रवासियों के लिए कश्मीर घाटी में ट्रांजिट आवास का निर्माण।

केन्द्रीय सरकार ने जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के प्रवासियों को राहत और पुनर्वास देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

क्यों?

- जम्मू और कश्मीर में खासतौर से इसके शुरुआती समय में, आतंकी हिंसा/आतंकवाद ने कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों के साथ-साथ कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों को जबरन प्रवास करना पड़ा था।

2 जम्मू प्रभाग में

- जम्मू प्रभाग के पहाड़ी इलाकों के प्रवासियों को कश्मीरी प्रवासियों को दी जाने वाली राहत की तर्ज़ पर राहत का प्रावधान जिसकी कुल अनुमानित लागत रु 13.45 करोड़ प्रति वर्ष।

नया क्या है?

- जम्मू प्रभाग के पहाड़ी इलाकों के प्रवासियों को नकद या अनाज के रूप में दी जाने वाली राहत राज्य सरकार द्वारा दी जाती थी जो कश्मीरी प्रवासियों के समान में नहीं थी।
- अब इस सन्दर्भ में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च भारत सरकार वापस करेगी

CCTNS परियोजना का विस्तार

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने अपराध और अपराधियों के ट्रेकिंग नेटवर्क और तंत्र (CCTNS) को जोरदार तरीके से सुधारने की परियोजना को मंजूरी दी।
- इसने CCTNS को आपराधिक न्याय तंत्र के मुख्य घटकों - E-court-E-Prison, फोरेंसिक और अभियोग से जोड़कर एकीकृत आपराधिक न्याय तंत्र लागू करने का निर्णय लिया है।
- यह आपराधिक न्याय तंत्र के विभिन्न स्तंभों के मध्य तेज़ी सेआंकड़ों का हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा जिससे पारदर्शिता आयेगी और समय की बचत होगी।
- इसके लागू होने से पुलिस-नागरिक interface एक बड़े बदलाव से गुजरेगा क्योंकि कई सुविधाएं नागरिक पोर्टलों के माध्यम से उपलब्ध होंगी।
- सरकार ने मार्च 2017 तक ICJS के क्रियान्वन सहित CCTNS परियोजना के क्रियान्वन और संपादन को तेज़ करने का निर्णय लिया है।

(CCTNS परियोजना की पृष्ठभूमि के लिए अक्टूबर नोट्स देखें)

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS